कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली, 2009

(उत्तराखण्ड (उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अधीन बनाई गई नियमावली)

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम– यह नियमावली कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली, 2009 कहलायेगी।

परिभाषाऐं:– इस नियमावली में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(1) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित से है।

(2) 'वित्तीय वर्ष' का तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च तक समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(3) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य 1 जुलाई से 30 जून तक समाप्त होने वाले कृषि वर्ष से है।

(4) 'समिति' का तात्पर्य अधिनियम के अधीन संगठित मण्डी समिति से है।

(5) 'सभापति' का तात्पर्य, मण्डी समिति के सभापति से है।

(6) 'सदस्य' का तात्पर्य, दुकान आवंटन समिति के सदस्य से है।

(7) 'सचिव' का तात्पर्य सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव से है।

(8) 'निदेशक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मण्डी निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से हैं।

(9) उपनिदेशक (प्रशासन) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा उपनिदेशक (प्रशासन) के रूप में नियुक्त अधिकारी से हैं।

आवंटन समिति का संगठन
अध्याय–दो

(1) प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित प्रधान मण्डी स्थल तथा उपमण्डी स्थल, इत्यादि के अन्दर दुकानों का आवंटन प्रथम बार अर्थात व्यापार स्थानान्तरण के पूर्व निम्नांकित 07 सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष	(यदि जिलाधिकारी आवंटन समिति की बैठक में स्वयं भाग न लेकर अपना प्रतिनिधि) भेजते हैं तो उपनिदेशक (प्रशासन) आवंटन समिति की अध्यक्षता करेगें तथा जिलाधिकारी का प्रतिनिधि बैठक में सदस्य के रूप रहेगा)।

2–	उपनिदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद	सदस्य
3–	सम्बन्धित, उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद	सदस्य
4–	सभापति, संबंधित, मण्डी समिति	सदस्य
5–	लेखाधिकारी मण्डी परिषद	सदस्य
6–	सचिव, संबंधित मण्डी समिति	सदस्य/संयोजक
7–	निदेशक, मत्स्य विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य (केवल मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में मत्स्य बाजार की दुकानों के आवंटन हेतु)

(2) व्यापार स्थानान्तरण के बाद बीच–बीच में आकस्मिक रूप से रिक्त अथवा नई निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु निम्न समिति रहेगी। यदि मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के निर्माण के बाद एक बार दुकानों का आवंटन किया जा चुका है और केवल किसी कारण रिक्त हुई कुछ अवशेष दुकानों का आवंटन ही किया जाना है तो समाचार पत्र में प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा किन्तु मण्डी/उपमण्डी स्थल में ऐसे अवशेष समस्त लाईसेन्सियों जिन्हें पूर्व में दुकान आवंटित नहीं है, को व्यक्तिगत रूप से आवंटन के संबंध में लिखित सूचना आवंटन समिति की बैठक की तिथि के एक सप्ताह पूर्व विधिवत् एजेण्डा के रूप में ही दी जायेगी जिन्हें प्रमाणस्वरूप आवंटन पत्रावली पर संलग्न किया जायेगा।

1–	उपनिदेशक (प्रशासन)	अध्यक्ष
2–	सभापति मण्डी समिति	सदस्य
3–	सचिव, मण्डी समिति	सदस्य/संयोजक

आरक्षण तथा आवंटन प्रकिया, मानक एवं नियम

(3) विकलांग व्यक्तियों हेतु एक "स" श्रेणी की दुकान आरक्षित रहेगी। उक्त आरक्षण का लाभ ऐसे व्यापारियों को ही मिल सकेगा जो मण्डी समिति के लाईसेन्सी हैं। उक्त आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु लाईसेंसी व्यापारी नहीं मिल पाते हैं तो उस स्थिति में यह सामान्य श्रेणी के अन्य लाईसेंसियों से भरा जा सकेगा, किन्तु आवंटन समिति को इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख अपनी कार्यवृत्ति में करना होगा। एक से अधिक विकलांग लाइसेन्स धारी व्यापारी होने की स्थिति में दुकान आवंटन हेतु मण्डी शुल्क के गत तीन वर्षो के प्राप्त औसत मण्डी शुल्क को आधार मानकर सबसे अधिक औसत मण्डी शुल्क देने वाले व्यापारी को वरीयता दी जायेगी।

(4) मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के निर्मित होने के पश्चात प्रथम बार व्यापार स्थानान्तरण हेतु आवंटित की जाने वाली दुकानों के लिये प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल एवं फल सब्जी मण्डी स्थलों में दुकानें का आवंटन केवल मण्डी समिति से लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों को किया जायेगा। यदि दुकानें कम हैं और व्यापारी अधिक हैं तो नियम 6 में उल्लिखित निम्न मानक के अनुसार उनके द्वारा भुगतान किये गये मण्डी शुल्क के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

(5) सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा किसी एक प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में आवंटन के संबंध में आवश्यक सूचना प्रकाशित कराने की अनिवार्यता होगी। समाचार पत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना का आलेख संलग्न हैं। समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद निर्धारित समय तक (समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा) आवेदन प्राप्त किये जायेगें। आवेदन पत्र रू0 20.00 मण्डी समिति कार्यालय में जमा करने के उपरान्त प्राप्त कियाा जा सकेगा व्यापारियों द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित मण्डी शुल्क को कार्यालय अभिलेखों से परीक्षणोंपरान्त, फाइनल मण्डी शुल्क वर्षवार/व्यापारीवार मण्डी समिति की नोटिस बोर्ड पर दसवें दिन चस्पा की जायेगी तथा साथ ही साथ यदि मण्डी में कोई व्यापारिक संगठन कार्यरत हैं तो संगठन के अध्यक्ष/महामंत्री को भी सूचनार्थ एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थलों एवं फल सब्जी मण्डी स्थलों में दुकानों के आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही गत तीन वर्षो में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क का औसत निकाल कर निम्नलिखित मानकों के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

(क) **<u>गल्ला मण्डी</u>**

1—	रू0 80 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिनका टर्नओवर रू0 60 लाख से अधिक हो।	''अ'' श्रेणी
2—	रू0 40 हजार से अधिक 80 हजार तक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्नओवर रू0 60 लाख से कम एवं 25 लाख से ऊपर हो।	''ब'' श्रेणी
3—	रू0 20 हजार से अधिक 40 हजार तक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्नओवर 25 लाख से कम अथवा 12 लाख से अधिक हो।	''स'' श्रेणी
4—	जिन व्यापारियों का औसतन मण्डी शुल्क 20 हजार तक है, उन्हें शेड में स्थान का आवंटन किया जाये।	

(ख) **फल एवं सब्जी मण्डी**

1—	रू0 40 हजार से अधिक औसतन मण्डी शुल्क देने वाले व्यापारी	''अ'' श्रेणी
2—	रू0 20 हजार से 40 हजार तक औसतन मण्डी शुल्क देने वाले व्यापारी	''ब'' श्रेणी
3—	रू0 8 हजार से 20 हजार तक औसतन मण्डी शुल्क देने वाले व्यापारी	''स'' श्रेणी
4—	रू0 8 हजार तक औसतन मण्डी शुल्क देने वाले व्यापारियों	

को शेड में स्थान आवंटित किया जा सकता है। यदि उनका मण्डी शुल्क बढ़ जाता है तो मानकों के आधार पर दुकानों के आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

(7) उपरोक्तानुसार मण्डी शुल्क का वर्षवार विवरण तथा सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा चाही गई दुकान की श्रेणी एवं नम्बर के आवंटन आदि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण करने के बाद पत्रावली पर आवंटन समिति के अध्यक्ष से आवंटन कमेटी की बैठक हेतु समय/स्थान निर्धारित कराया जायेगा तथा सम्पूर्ण विवरण एक सप्ताह पूर्व मण्डी सचिव द्वारा सदस्यों को एजेण्डा के रूप में भेजा जायेगा तथा निर्धारित तिथि/समय पर आवंटन समिति के सामने प्रस्तुत कर आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी। यदि कोई लाईसेन्स तीन वर्ष से कम अवधि का है तो उस लाईसेंस के निर्गत होने के वर्ष से ही आवंटन तक के वर्ष में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क की गणना तीन वर्ष की अवधि मानते हुए औसत मण्डी शुल्क की गणना की जायेगी।

(8) यदि किसी प्रकरण में स्थिति यह हो कि उपरोक्त मानकों के अनुसार पर्याप्त लाईसेंसी न हों तथा दुकानों के अवशेष रह जाने की स्थिति हो तो जो भी लाईसेंसी उपलब्ध होगें, उसके तीन वर्षो के औसत मण्डी शुल्क के आधार पर घटते अवरोही कम में दुकानें आवंटित की जायेगी और इस प्रकार परिस्थिति विशेष में मानकों को शिथिल करने का अधिकार आवंटन समिति को होगा जिसका स्पष्ट उल्लेख आवंटन कार्यवाही की कार्यवृत्ति में किया जायेगा।

(9) जो अधिकतम मण्डी शुल्क देने वाला लाईसेंसी होगा उसे मण्डी शुल्क की वरीयता कम में ही विशिष्ट दुकान पाने का अधिकार होगा अर्थात उदाहरणस्वरूप यदि किसी लाईसेंसी का सबसे अधिक मण्डी शुल्क है और वह "अ" श्रेणी या किसी अन्य श्रेणी की कोई विशेष दुकान चाहता है तो उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार उसे आवंटित की जायेगी। यदि विशेष परिस्थितियों में मण्डी शुल्क दो व्यापारियों का एक समान हो और दुकान एक उपलब्ध हो ऐसी स्थिति में जिस व्यापारी को लाइसेंस मण्डी समिति द्वारा पहले जारी किया गया हो उसे पहले दुकान आवंटित की जायेगी।

(10) यदि दुकानों की कमी के कारण अथवा अन्य किसी विशिष्ट एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में कतिपय लाईसेंसियों को नीलामी चबूतरे पर स्थान दिया जाता है तो उन्हें भी आवंटन समिति द्वारा ही विधिवत् आवंटित किया जायेगा तथा उसका अनुबंध भी किया जायेगा। अनुबंध में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा कि भविष्य में कभी भी

लाईसेंसी व्यापारी को दुकान आवंटन का प्रस्ताव समिति द्वारा मिलने पर वह नियत समय में नीलामी चबूतरा खाली करके उसे आवंटित दुकान सभी औपचारिकताएं प्राप्त करके तत्काल प्राप्त कर लेगा। किसी भी दशा में व्यापारी को नीलामी चबूतरें के दो खम्भों के बीच के आधे स्थान से अधिक क्षेत्र आवंटित नहीं किया जायेगा। यानी दो खम्भों के बीच की दूरी को दो व्यापारियों के मध्य विपरीत दिशाओं के फ्रन्टेज पर कार्य करने हेतु आवंटन किया जायेगा। नीलामी चबूतरों के किराये की गणना आलोच्य अथवा विगत वर्ष निर्मित दुकानों के प्रतिवर्ग फुट किराये आदि के आधार पर उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा की जायेगी तथा नीलामी चबूतरे का किराया उसी लोकेशन की दुकान के प्रतिवर्ग फुट किराये का 50 प्रतिशत से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा।

(11) कमेटी द्वारा आवंटन के पश्चात मण्डी समिति से आदेश जारी होने पर अनुबंध से पूर्व 06 माह का अग्रिम किराया आवंटी व्यापारी से प्राप्त किया जायेगा। इसमें से तीन माह का किराया अगले त्रैमासिक किराये में समायोजित कर लिया जायेगा तथा तीन माह का किराया समिति के पास सदैव अग्रिम जमा रहेगा। नियम प्रारूप पर विधिवत् अनुबंध निष्पादित होने तथा उपरोक्तानुसार किराया प्राप्ति के बाद ही समिति की ओर से व्यापारी को दुकान का औपचारिक कब्जा लिखित रूप से हस्तांतरित किया जायेगा।

(12) दुकान का किराया अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख से प्रारम्भ होगा। आवंटी द्वारा देय त्रैमासिक किराया अर्थात प्रत्येक तीन माह बाद चौथे महीने की तीन तारीख तक मण्डी समिति कार्यालय में नगद अथवा बैंक डाफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

(13) देय किराये को चौथे माह की तीन तारीख के बाद विलम्ब से जमा करने की स्थिति में आवंटी को प्रथम तिमाही के देय किराये पर 10 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही के देय किराये पर 20 प्रतिशत तथा तृतीय तिमाही के देय किराये पर 40 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करना होगा किन्तु यदि एक पूरे कृषि वर्ष में देय किराया व उपरोक्तानुसार विलम्ब शुल्क समिति कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित लाईसेंसी का लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करने, दुकान/शेड/स्थान खाली करने व समस्त बकाया धनराशि की वसूली मण्डी अधिनियम की धारा– 20 के अन्तर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

(14) प्रथम बार निर्धारित किये गये दुकान के किराये में प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 20 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः हो जायेगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुबन्ध में भी होगा। जिन्न व्यापारियों को इस नियमावली के प्रभावी होने से पूर्व दुकान आवंटित की गयी है उन्न व्यापारियों को आवंटित दुकान के किराये में भी प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद 20 प्रतिशत की

वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी। किराये में वृद्धि के समय सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा आवंटी व्यापारी के मध्य निस्पादित अनुबन्ध को तदनुसार संशोधित कराया जायेगा।

(15) ऐसे व्यापारी जिन्हें मण्डी/उपमण्डी स्थल में दुकान आवंटित हैं किन्तु वह लगातार एक वर्ष से कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं तो ऐसे व्यापारियों का लिखित पक्ष प्राप्त करके यदि मण्डी समिति उचित समझे तो उनसे तत्काल विधिवत् दुकान खाली करवा कर पात्र व्यक्ति को नियमतः आवंटन समिति द्वारा आवंटित किया जा सकेगा।

(16) ऐसे आवंटी/व्यापारी जिनका व्यापार विगत तीन वर्षो से लगातार श्रेणीवार दुकानों हेतु निर्धारित अधिकतम मानक से अधिक रहा है, उन्हें उनकी मांग पर वर्तमान में आवंटित श्रेणी की दुकान से उच्च श्रेणी की दुकान उपलब्धतानुसार आवंटन समिति द्वारा नियमतः आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है।

(17) प्रथम बार व्यापार स्थानान्तरण हेतु नवीन मण्डी/उपमण्डी स्थल में निर्मित दुकानों की कमी के कारण यदि आवंटन समिति द्वारा व्यापारियों को छायादार नीलामी चबूतरे अथवा खुले स्थान का आवंटन किया जाता है तो उसका मासिक किराया भी यदि परिषद मुख्यालय से नियत न हो तब संबंधित उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा नियमतः निर्धारित प्रतिमाह किराया आवंटन के ही समय आवंटी को बताया जायेगा, जिसका उल्लेख अनुबंध आदि में भी किया जायेगा। यह किराया आवंटी से उक्त प्रस्तर–11 के अनुरूप वसूला जायेगा।

(18) यदि किसी लाइसेन्स धारी व्यक्ति/फर्म को पूर्व में दुकान आवंटित हो चुकी हो और वह उस फर्म में भागीदार/स्वामी रहते हुए किसी नई फर्म के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त नई लाइसेन्सी फर्म हेतु दुकान की मांग करता है तो वह दुकान आवंटन हेतु पात्रता नही रखेगा भले ही उसका गत तीन वर्षो में मण्डी शुल्क की औसत धनराशि निर्धारित मानकों से अधिक ही क्यों न हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि मण्डी में दुकानें रिक्त रहती हों तो आवंटन कमेटी को ऐसे व्यापारियों को दुकान आवंटन करने के सम्बन्ध में तत्समय विद्यमान परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(19) उपरोक्त ''अ'' ''ब'' ''स'' कैटेगरी की दुकानों एवं नीलामी चबूवरे आदि में आवंटित किये गये स्थान के आवंटन के सम्बन्ध में आवंटन कमेटी द्वारा की गयी कार्यवाही निदेशक को प्रेषित की जायेगी। निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष, मण्डी परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा आवंटित व्यक्तियों को आवंटन आदेश निर्गत किये जायेगें। आकस्मिक रूप से यदि मण्डी स्थल में व्यवसायिक रिक्त दुकानों की संख्या तीन या तीन से कम हो तो सचिव/सभापति नियत मानकों एवं नियमों के आधार

पर आबंटन के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशक को प्रेषित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष, मण्डी परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा आवंटित व्यक्तियों को आवंटन आदेश निर्गत किये जायेगे।

(20) विशेष परिस्थितियों में मण्डी स्थल में निर्मित गोदामों का निर्धारित किराया स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक होने की दशा में इसे 25 प्रतिशत की सीमा तक कम करने का अधिकार मण्डी निदेशक में निहित होगा।

स्ववित्त पोषित दुकानों के निर्माण एवं आवंटन सम्बन्धी नियमः—

(21) मण्डी स्थलों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होते हुए भी मण्डी समितियॉ वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण वे अपने संसाधनों से दुकान विहीन व्यापारियों के लिए दुकानों का निर्माण नही करा पाती हैं जिससे जहां एक ओर मण्डी समितियॉ व्यापारियों को दुकान उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं वही दूसरी ओर मण्डी समितियों को इससे मिलने वाली राजस्व की हानि भी वहन करनी पड़ रही है। वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी स्थलों में रिक्त भूमि का सदुपयोग करने, दुकान विहीन व्यापारियों को उनके व्यवसाय के लिए विभिन्न श्रेणी की दुकानों को निर्मित कराकर उन्हें आवंटित करने के उद्देश्य से स्ववित्त पोषित दुकान निर्माण एवं आवंटन सम्बन्धी नियम बनाए गए है। जिसका कियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगाः—

(एक) योजना के कियान्वयन हेतु सर्वप्रथम मण्डी समितियॉ दुकान विहीन लाइसेन्स प्राप्त आढ़तियों/थोक व्यापारियों की एक सूची तैयार करेगी।

(दो) उक्त सूची में उल्लिखित व्यापारियों के लिए दुकान बनाने हेतु मण्डी समिति मण्डी स्थल में उपलब्ध रिक्त भूमि में दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव करेगी समिति को अपने प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करना होगा कि रिक्त भूमि का अधिकतम उपयोग ऐसी श्रेणी की दुकानों को बनाकर किया जाय जिससे अधिक से अधिक व्यापारियों को दुकानें प्राप्त हो सके अर्थात यदि मण्डी स्थल में 100 दुकान विहीन व्यापारी है और वे "अ","ब" एवं "स" श्रेणी की दुकानों का निर्माण चाहते है और दूसरी ओर श्रेणीवार दुकान बनाने हेतु भूमि अपर्याप्त है तो ऐसी दशा में समिति अधिक से अधिक व्यापारियों के लिए दुकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सबसे छोटी श्रेणी की दुकानों का निर्माण करायेगी। जिससे अधिकतम व्यापारियों को दुकानें उपलब्ध हो सकें और स्थान के अभाव में शेष व्यापारियों के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन/कय की कार्यवाही की जाय।

(तीन) प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त मण्डी समिति एक विज्ञापन प्रदेश के दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगी कि दुकान विहीन लाइसेन्सधारी आढ़ती/थोक व्यापारी दुकान चाहने हेतु अपना पंजीकरण मण्डी समिति में कराने हेतु निर्धारित प्रारूप जो (परिशिष्ट ''क'') पर संलग्न है में आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के भीतर उपलबध करा दें। ऐसे आवेदन पत्र मण्डी समिति कार्यालय से रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये) के भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है।

(चार) निर्धारित प्रार्थना–पत्र के साथ दुकान के पंजीकरण हेतु निम्न धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में समिति कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना आवश्यक होगा, बिना पंजीकरण शुल्क के कोई भी आवेदन पंजीकृत नही किया जायेगा तथा जिन व्यापारियों को दुकानें आवंटित नही होंगी उनका पंजीकरण शुल्क दुकान आवंटन के एक माह के भीतर बिना किसी ब्याज के मण्डी समिति वापस करेगी।

(क) ''अ'' श्रेणी के दुकानों के लिए रूपये 50,000.00

(ख) ''ब'' श्रेणी के दुकानों के लिए रूपये 40,000.00

(ग) ''स'' श्रेणी के दुकानों के लिए रूपये 30,000.00

पंजीकरण की उपरोक्त धनराशि आवंटन के पश्चात दुकान के सम्पूर्ण मूल्य में समायोजित की जायेगी।

(पॉच) दुकानों का आवंटन उन्हीं आवेदकों को किया जायेगा जो निम्न प्रकार अग्रिम किराया धनराशि जमा करने हेतु अनुबन्ध करेंगे।

1. अनुबन्ध करते समय अनुबन्ध के साथ दुकान की कुल लागत का पचास प्रतिशत धनराशि जिसमे पंजीकरण शुल्क भी सम्मिलित होगा।
2. दुकान का छत (Slab) डालने के तत्काल बाद जिसकी तारीख विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व बताई जायेगी दुकान की लागत शेष धनराशि का पचास प्रतिशत धनराशि।
3. दुकान पर कब्जा देने से पूर्व दुकान की शेष लागत की धनराशि शत प्रतिशत जमा करनी होगी।

(छः) दुकान हेतु प्राप्त उपरोक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन कब्जा देने की तिथि से माहवार दुकान के देय किराये से किया जायेगा एवं अग्रिम किराये की धनराशि पूर्ण होने पर नियमित मासिक किराये की मासिक वसूली मण्डी समिति द्वारा की जायेगी यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य दुकानों की भॉति प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुबन्ध में भी होगा। इस सम्बन्ध में अन्य

किराये की दुकानों के लिए बनाये जाने वाले नियम इन दुकानों पर भी लागू होंगे (अन्य दुकानों का तात्पर्य मण्डी परिसर में पूर्व से निर्मित दुकानों से है)।

(सात) आवंटी व्यापारी द्वारा निर्माण हेतु समिति को जो अग्रिम धनराशि दी जायेगी उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(आठ) यदि कोई आवंटी अग्रिम किराये की पचास प्रतिशत धनराशि या पचहत्तर प्रतिशत धनराशि जमा करने के बाद दुकान पर कब्जा लेने अथवा पचास प्रतिशत के बाद अगली पच्चीस प्रतिशत वाली किस्त जमा करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे व्यापारी को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि का आधा भाग समिति अपने क्षतिपूर्ति हेतु जब्त कर लेगी तथा शेष आधी धनराशि बिना किसी ब्याज के संबन्धित को लौटायेगी तथा ऐसी दुकान को समिति दुकान आवंटन की पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार अन्य व्यापारियों को आवंटित करेगी, परन्तु आवंटी व्यापारी को दुकान की समस्त निर्धारित धनराशि समिति में जमा करनी होगी यदि सम्बन्धित व्यापारी इस योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में सफल न हो तो उसे इस योजना से वंचित किया जा सकेगा।

(नौ) दुकानों के आवंटन के लिए उपनिदेशक (निर्माण) एक ले आउट प्लान दुकानों के नम्बर सहित तैयार कर मण्डी समिति को उपलब्ध करायेंगे। मण्डी समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण उक्त ले आउट प्लान के साथ दुकान आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा दुकान आवंटन कमेटी किस व्यापारी को कौन सी दुकान आवंटित की जाय इस सम्बन्ध में लाटरी पद्धती से उपलब्ध दुकानों का आवंटन आवेदकों के मध्य करेगी।

(दस) उन्हीं आवेदन पत्रों को लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा जो सम्बन्धित योजना के समाचार पत्र में प्रकाशन से पूर्व गत तीन वर्षो से निरन्तर व्यापार कर रहे हो तथा जिनके द्वारा नियमित रूप से मण्डी शुल्क प्रतिवर्ष मण्डी समिति में जमा किया गया हो, दुकान की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों में आते हों।

दुकानों का उपरोक्त आवंटन केवल लाइसेन्सधारी व्यापारियों के मध्य ही किया जायेगा। स्ववित्त पोषित योजना में तीन वर्ष के औसत मडी शुल्क का आधार रखा जायेगा तथा इस योजना के अन्तर्गत लाइसेन्सी व्यापारी द्वारा तीन वर्ष से लगातार कार्य किया हो और मण्डी शुल्क/टर्नओवर के निर्धारत मानकों में आता हो, को दुकान आवटंन के लिए पात्र समझा जायेगा। आवंटन कमेटी योजना के प्रकाशन से पूर्व लाइसेन्स धारी व्यापारी द्वारा लगातार गत तीन वर्षो में जमा किये गये मण्डी शुल्क की स्कूटनी कर लाटरी द्वारा दुकान आवंटन की कार्यवाही करेगी। पंजीकरण कराने वाले ऐसे व्यापारियों का जो आवंटन के समय दुकान की पात्रता न रखते हो उनका पंजीकरण शुल्क व उनके द्वारा दुकान हेतु जमा की गयी धनराशि लौटा दी जायेगी। इस धनराशि पर कोई ब्याज देय न होगा।

जिन मण्डी समितियों की वित्तीय स्थिति अच्छी न हो तथा व्यापारियों की मांग पर दुकानों का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक हो, ऐसी दशा में उन्ही मण्डी समितियों द्वारा उक्त योजना के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्व–वित्त पोषित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में आवंटन कमेटी द्वारा की गयी कार्यवाही निदेशक को प्रेषित की जायेगी। निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष, मण्डी परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा आवंटित व्यक्तियों को आवंटन आदेश निर्गत किये जायेगें।

साझीदार/स्वामित्व परिवर्तन

(22) यदि किसी आवंटी/फर्म के एक अथवा एक से अधिक (किन्तु समस्त नहीं) साझीदार फर्म से अलग होते हैं तथा उस फर्म के शेष साझीदार पूर्व नाम से ही फर्म को संचालित करते हैं तो वह दुकान समिति द्वारा रिक्त नहीं कराई जायेगी। यदि ऐसी फर्म से कुछ साझीदार निकलने के फलस्वरूप नये साझीदार सम्मिलित किये जाते हैं तथा फर्म का नाम पूर्ववत् रहता है तब भी दुकान खाली नहीं कराई जायेगी। यदि किसी फर्म के समस्त साझीदार बदल जाते हैं तथा फर्म का नाम वही रहता है अथवा कुछ साझीदार बदल जाने पर फर्म का नाम बदल जाता है तो वह दुकान रिक्त मानकर निरस्त कर दी जायेगी तथा नियमानुसार उसे आवंटन समिति द्वारा अन्य सुपात्र व्यापारी को आवंटित किया जायेगा। आवंटी के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के नये साझीदार के रूप में फर्म में शामिल होने/फर्म का स्वामित्व लेने की दशा में दुकान रिक्त नहीं कराई जायेगी एवं ऐसी स्थिति में फर्म को पूर्व अथवा परिवर्तित नाम से समिति का लाईसेंस प्राप्त हो जाने पर वही दुकान इस नई फर्म को मण्डी समिति द्वारा आवंटित की जायेगी।

जलपान गृह व पी0सी0ओ0 का संचालन

(23) मण्डी स्थल के अन्दर प्रायः छोटे–छोटे दुकानदार पान, चाय तथा प्रतिदिन की उपयोग आने वाली वस्तुओं की बिक्री ठेले/गुम्टियों के माध्यम से करते हैं। ऐसे सभी प्रकार के छोटे दुकानदारों को मण्डी स्थल के अन्दर निम्न व्यवस्था के अनुरूप अनुमति प्राप्त कर व्यापार करने की छूट दी जायेगीः–

(I) प्रत्येक हस्त–चालित वाहन का प्रयोग करने वाले ठेलों के लिये प्रतिवर्ष मण्डी समिति द्वारा निर्धारित की गई निश्चित धनराशि विधिवत् एवं एक मुश्त अदा करने पर ठेलों पर प्रतिदिन के उपयोग की खान–पीने की वस्तुएं बेचने की अनुमति मण्डी समिति द्वारा दी जायेगी।

(II) मण्डी स्थल की किसी उपयुक्त एवं पूर्णतया रिक्त तथा क्रय–विक्रय–विनियमन कार्य हेतु अनुपयोगी भूमि जिसे मण्डी समिति इस प्रयोजनार्थ उचित समझे उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा निर्धारित मासिक किराये पर पी0सी0ओ0 व जलपान गृह (यदि इस हेतु पूर्व से पृथक भवन निर्मित नहीं है तक) के लिये एक वर्ष के लिये पूर्व प्रस्तरों में नियत नियमों के अनुरूप एक मुश्त प्रीमियम तथा मासिक किराये पर दी जा सकती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि आबंटी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जायेगा तथा केवल पानी व धूप से बचने के लिए अस्थायी शेड का निर्माण अपने व्यय से किया जायेगा तथा आवंटन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उसे स्वयं अपने व्यय पर हटाना होगा। उक्त अस्थायी निर्माण अज्वलनशील सामग्री से इस प्रकार कराया जायेगा, जैसाकि मण्डी समिति सामान्य नीति के तहत समान मामलों के लिये विधिवत् नियत करें।

(III) नवीन मण्डी स्थलों में निर्मित कैंटीन को मण्डी स्थल में कार्यरत लाईसेंसी व्यापारियों की सहकारी समिति अथवा व्यापार मण्डल द्वारा भी चलवाने का प्रयास किया जा सकता है तथा मण्डी स्थल में निर्मित कैंटीन को उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित किराये पर एक वर्ष के लिये अनुबंध करके उन्हें औपचारिक रूप से विधिवत् ठेके पर दिया जा सकता है। मण्डी समिति द्वारा कैंटीन के सामान्य अनुरक्षण तथा उसमें पानी उपलब्ध कराने के अलावा और किसी मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

(IV) यदि मण्डी स्थल में एक से अधिक कैंटीन हैं तो प्रत्येक कैंटीन के किराये की नीलामी प्रायः प्रतिवर्ष पृथक–पृथक की जायेगी। इसमें विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नीलामी में प्राप्त प्रतिमाह किराये की बोली उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा निर्धारित मासिक किराये से किसी भी दशा में कम न हो तथा उनमें से एक कैंटीन समाज के कमजोर वर्गो से संबंधित बेरोजगार स्नातकों को उपलब्ध हो जाय। एक मण्डी स्थल में किसी भी स्थिति में एक ही परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक से अधिक कैंटीन नहीं दी जायेगी।

(V) यदि कैंटीन की सेवाओं के संबंध में कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में न आये तथा अगले वर्ष भी पूर्व ठेकेदार को ही कैंटीन दिये जाने का निर्णय मण्डी समिति द्वारा लिया जाता है तो समिति द्वारा कैंटीन की रंगाई–पुताई स्वयं कराई जायेगी अथवा यह कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं कराये जाने पर इस हेतु उससे एक माह का किराया वसूल नहीं किया जायेगा। यदि अगले वर्ष नये ठेकेदार को कैंटीन दी जाती है तो समिति द्वारा कैंटीन के आवंटन/नीलामी

पश्चात् अनुबंध करने के बाद एक सप्ताह में उसकी रंगाई–पुताई ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही कराई जायेगी।

(24) जिस मण्डी स्थल में किसान बाजार की दुकानें निर्मित नहीं हैं वहां नवीन मण्डी स्थल के भीतर ''क'' विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में अधिकतम 05 तक, ''क'' श्रेणी की मण्डी में 04 तक, ''ख'' श्रेणी की मण्डी में 03 तक, ''ग'' श्रेणी की मण्डी में 02 तक की संख्या में दुकानें खाद, बीज तथा कृषि संयत्रों का कारोबार करने वाले व टांसपोर्ट एजेन्सियों हेतु आरक्षित रखकर तीन सदस्यीय आवंटन समिति द्वारा उन्हें उपरोक्त व्यवस्थानुसार ही नीलामी/टेण्डर के अनुसार अधिकतम प्रीमियम एवं मासिक किराये पर 05 वर्ष हेतु आवंटित की जा सकेगी, जिसे आगे भी आवंटन समिति के निर्णयानुसार पूर्व अथवा नई संशोधित शर्तो सहित बढ़ाया जा सकेगा।

(25) मण्डी स्थलों के भीतर निर्मित गोदामों, आवासीय भवनों इत्यादि का आवंटन मण्डी परिषद मुख्यालय से निर्धारित किराये के अन्तर्गत मण्डी समिति के सचिव/सभापति के स्तर से किया जायेगा।

मण्डी निदेशक

मण्डी स्थल /उपमण्डी स्थल में खाद्यान्न, फल–सब्जी एवं मत्स्य की निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में समाचार पत्र में प्रकाशन का आलेख

मण्डी समिति..........................के मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित .... श्रेणी/श्रेणियों की कुल..............................दुकानों का आवंटन प्रस्तावित है। अतः मण्डी/उपमण्डी स्थल के समस्त लाईसेंसी व्यापारी दुकान लेने हेतु दिनांक ....तक मण्डी समिति कार्यालय से निर्धारित फीस जमा कर आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर लें तथा उसे भरकर दिनांक................तक मण्डी समिति कार्यालय में जमा कर दें। आवेदन पत्र में व्यापारियों/लाईसेंसियों द्वारा अंकित मण्डी शुल्क के विवरण का कार्यालय अभिलेखों से परीक्षण कर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के 10 वें दिन समिति के नोटिस बोर्ड पर व्यापारीवार सूची/विवरण चस्पा किया जायेगा जिसमें विगत तीन वर्षो के मण्डी शुल्क का वर्षवार विवरण अंकित होगा तथा उस विवरण के अनुसार ही अवरोही– क्रम में दुकानों की उपलब्धता के अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। सभी व्यापारियों को तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

सचिव,
कृषि उतपादन मण्डी समिति
...............जनपद...................

मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में खाद्यान्न, फल–सब्जी एवं मत्स्य की दुकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति,.........................

महोदय,

आपके विज्ञापन संख्या ....दिनांक......................के क्रम में मैं नवीन मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में दुकान आवंटन हेतु आवश्यक सूचनाएं देते हुए निम्नवत् आवेदन कर रहा हूँः–

9. फर्म/प्रार्थी का नाम :
10. मण्डी समिति का लाईसेन्स संख्या :
11. लाईसेन्स की वैधता अवधि :
12. विगत तीन कृषि वर्षो के वर्षवार मण्डी शुल्क का विवरण :
(i) वर्ष........... में कुल भुगतान मण्डी शुल्क की धनराशि रू0 :
(ii) वर्ष ....में कुल भुगतान मण्डी शुल्क की धनराशि रू0 :
(iii) वर्ष ....में कुल भुगतान मण्डी शुल्क की धनराशि रू0 :
13. विगत तीन वर्षो में उक्त लाईसेन्स लेने की अवधि को जमा औसत मण्डी शुल्क रू0 :
14. दुकान व उसकी श्रेणी जिस हेतु अभ्यर्थी इच्छुक हो :
15. यदि आरक्षण श्रेणी में आते हो तों उसका विवरण (साक्ष्य भी संलग्न करें) :
16. विशेष विवरण :

कृपया मुझे आवंटन/नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित करके अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आवेदन की तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
फर्म की हैसियत :
फर्म की अधिकृत मुहर :

मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित खाद्यान्न, फल सब्जी, मत्स्य एवं किसान बाजार की आवंटित दुकानों हेतु अनुबन्ध की शर्ते

यह विलेख दिनांक ....महीना ....सन्.................को कृषि उत्पादन मण्डी समिति ....जिला....................(जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–12 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है जिसको इस विलेख में सुविधा के लिए आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा और जिसका कार्यालय नवीन मण्डी स्थल ....पर स्थित है, द्वारा सचिव, मण्डी समिति ....श्री ....पुत्र श्री........ ....

प्रथम पक्ष (लेसर)

एवं

श्री.........................पुत्र श्री.................................. आयु ....निवासी.................... .... जिसे सुविधा के लिए आगे द्वितीय पत्र कहा जायेगा के मध्य निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है:–

द्वितीय पक्ष (लेसी)

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा खाद्यान्न/फल सब्जी/मत्स्य/किसान बाजार योजना के अन्तर्गत प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित दुकानों में से उक्त दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अपनाये गये नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष को दुकान संख्या.............जिसका पूर्ण विवरण तथा मानचित्र संलग्नक में दिया है, को आवंटन आदेश संख्या................ दिनांक.....................द्वारा रूपया...................... प्रति माह किराये पर एवं रूपया प्रीमियम पर निम्नलिखित शर्तो के अनुसार आवंटित कर दी गयी है जिससे दोनों पक्ष सहमत हों और बाध्य रहेगें।

शर्ते

1. यह कि दुकान की किरायेदारी की अवधि.......................माह ....सन्......................... से प्रारम्भ होगी जो माह दर माह चलेगी और उसकी गणना अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख से की जायेगी।

2. यह कि अनुबंध की तिथि के बाद एक सप्ताह के भीतर कब्जा प्राप्त करने के पूर्व द्वितीय पक्ष 06 माह का अग्रिम किराया मण्डी समिति में जमा करेगा जो अगले किराये में समायोजित कर लिया जायेगा।

3. यह कि दुकान का किराया अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख से प्रारम्भ होगा। आवंटी द्वारा देय त्रैमासिक किराया अर्थात प्रत्येक 03 माह बाद चौथे महीन की तीसरी तारीख तक समिति कार्यालय में नगत/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

4. यह कि देय किराये को चौथे माह की उक्त नियत तिथि के बाद विलम्ब से जमा करने की स्थिति में आवंटी (द्वितीय पक्ष) को प्रथम तिमाही के देय किराये पर 10% द्वितीय तिमाही के देय किराये पर 20% तथा तृतीय तिमाही के देय किराये पर 40% विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

5. यह कि यदि एक वर्ष में देय किराया व उपरोक्तानुसार विलम्ब शुल्क समिति कार्यालय में जमा नही किया जाता है तो सम्बन्धित लाईसेंसी का लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करने, दुकान खाली कराने व बकाया की वसूली धारा 20 के अन्तर्गत करने का प्रथम पक्ष को अधिकार होगा।

(6) यह कि निर्धारित किये गये दुकान के किराये में प्रत्येक पॉचवे वर्ष के अन्तिम माह मे किराये में 20% प्रतिमाह की वृद्धि स्वतः हो जायेगी जिसे स्वीकार करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

7. यह कि ऐसे व्यापारी जिन्हें दुकान आवंटित है और लगातार 01 वर्ष से कोई व्यापार नही कर रहे उनसे नियमानुसार दुकान तत्काल खाली करवाकर पुनः पात्र व्यक्ति को नियगतः आवंटित करने का प्रथम पक्ष अर्थात मण्डी समिति को अधिकार होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष स्वयं ही नगर पालिका/टाउनएरिया, जल संस्थान अन्य स्थानीय निकायों व राज्य सरकार आदि द्वारा लगाये जाने वाले समस्त टैक्सों/कर/शुल्क/फीस आदि अन्य जो भी देय हो व बिजली व पानी के खर्चे व मीटर आदि के व्यय का भुगतान सम्बन्धित विभागों को सीधे करेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा टैक्ससे/फीस बिजली पानी आदि का भुगतान नही किया जाता और उक्त का भुगतान प्रथम पक्ष को करना पड़ता है तो वह उसे द्वितीय पक्ष से मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल कर सकता है।

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मण्डी/उपमण्डी स्थल के अन्तर्गत निर्मित व आवंटित दुकानों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों/कृषि संयत्र/खाद्य व बीज/ट्रांसपोर्ट (जो लागू हो, वही लिखा जाय) का ही व्यवसाय किया जा सकेगा।

10. यह कि किरायेदारी के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष समय–समय पर मण्डी विनियमन के विचार से यदि कोई निर्देश देता है तो द्वितीय पक्ष इन निर्देशों का भी पालन करेगा।

11. यह कि इस अनुबंध पत्र को निष्पादित कराने के सम्बन्ध में समस्त खर्चा जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य विविध व्यय शामिल है, को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष बिना प्रथम पक्ष की लिखित विधि सम्मत अनुमति के दुकान में कोई भी निर्माण कार्य, परिवर्तन, विस्तार अथवा विभाजन नही करेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा उनके द्वारा समय–समय पर सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को सभी समुचित समयों पर विनियमन कार्यो हेतु निरीक्षण के प्रयोजनार्थ दुकान में प्रवेश करने की अनुमति/सुविधा देगा।

14. यह कि प्रश्नगत किरायेदारी की अवधि.................... होगी। इस अवधि को प्रथम पक्ष द्वारा मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुसार द्वितीय पक्ष की सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

15. यह कि औपचारिक आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर आवटी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर यदि दुकान का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी प्रीमियम धनराशि का 15% अंश तथा पंजीकरण शुल्क बतौर हर्जाना जब्त कर लिया जायेगा।

16. यह कि द्वितीय पक्षकार की मृत्यु को जाने के पश्चात् आवंटन सुविधा समाप्त हो जायेगी किन्तु उसके पुनः आवंटन के लिए मृतक के उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए आवेदक को प्रथम पक्षकार की सन्तुष्टि हेतु उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं तत्सम्बन्धी मण्डी समिति/मण्डी परिषद के समस्त नियमों/शर्तो का पालन करना होगा। उत्तराधिकारी यदि एक से अधिक होगें तब वास्तविक उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार उपनिदेशक (प्रशासन) में निहित होगा और उनका निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा।

17. यह कि इस प्रकार निर्मित व आवंटित दुकान पर पूर्ण स्वामित्व प्रथम पक्ष अर्थात मण्डी समिति का ही होगा तथा द्वितीय पक्ष मात्र किरायेदार होगा।

18. यह कि निर्धारित प्रीमियम की धनराशि जमा कर स्थान आवंटित कराकर अनुबंध के पश्चात् निर्माण करने वाले द्वितीय पक्ष को किसी अन्यथा बात के न होने पर दुकान 30 वर्षो हेतु आवंटित कराने का अधिकार होगा।

19. यह कि उक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह दुकान का आवंटन निरस्त कर दुकान खाली करा सकेगा।

20. यह कि आवंटन प्रक्रिया में समय–समय पर संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार मा0 अध्यक्ष मण्डी परिषद के अनुमोदनोपरान्त मण्डी निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) में निहित होगा। मण्डी निदेशक का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा।

21. यह कि अनुबंध पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रथम पक्ष अर्थात मण्डी समिति को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को एक माह का लिखित नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर दे एवं कब्जा वापस ले ले।

22. यह कि द्वितीय पक्ष यदि किरायेदारी समाप्त करना चाहता है तो वह एक माह का अग्रिम नोटिस अथवा एक माह के किराये का भुगतान कर किरायेदारी समाप्त कर दुकान का वास्तविक कब्जा प्रथम पक्ष को दे देगा।

23. उक्त शर्तो, में किसी प्रकार का विवाद होने पर मण्डी निदेशक अथवा उनके नामित प्रतिनिधि का निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

24. यह कि दुकान की चौहद्दी निम्नवत् हैः–

पूर्व..................................

पश्चिम...........................

उत्तर..............................

दक्षिण..............................

25. यह कि उपरोक्त समस्त शर्तो को पढ़कर, समझकर दोनों पक्षों ने सहमति से गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर विलेख निष्पादित किया।

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

द्वारा

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
.......................जनपद.............

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

गवाह के हस्ताक्षर

गवाह नं0–1....................

गवाह न0–2......................

समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति का प्रारुप

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ... जनपद ....

पत्रांक क0उ0स0 / दू0आ0(स्व0वि0यो0) /

दिनांक...........

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दुकानों के पंजीकरण हेतु सूचना।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति .... के मण्डी स्थल / उप मण्डी स्थल .... में .... श्रेणी की .... दुकानों का स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अतः मण्डी समिति..................... से लाइसेंस प्राप्त फल सब्जी / साद्यान्न, दलहन तिलहन, मसाले आदि के दुकान विहीन लाइसेंसधारी थोक व्यापारियों, आढ़तियों तथा थोक व्यापारी एवं आढ़तिया को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक .... तक निर्धारित प्रार्थना पत्र पर रु0 .... पंजीकरण शुल्क समिति के कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दें। स्ववित्त पोषित योजना की नियमावली एवं आवेदन पत्र का प्रारुप रु0 500.00 के नकद भुगतान पर किसी कार्यदिवस में समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं

निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी व्यापारी का प्रार्थना पत्र एवं पंजीकरण शुल्क स्वीकार नही किया जायेगा।

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति,

....

जनपदन ....

परिशिष्ट 'क'

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लाइसेन्सधारी व्यापारियों के लिए स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दुकान आवंटन हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र

कमांक

कार्यालय प्रयोग हेतु
रसीद संख्या ....दिनांक...................
जिसके द्वारा आवेदन पत्र का मूल्य रू0 500.00 (रूपया पॉच सौ) जमा किया गया है।
हस्ताक्षर कोष
लिपिक / लेखाध्किारी / सहा0लेखाधिकारी

सेवा में,

सचिव / सभापति,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
..............................जनपद................

महोदय,

आपकी सूचना संख्या......................दिनांक......................के कम में नवीन मण्डी स्थल, ...में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दुकान आवंटन हेतु आवश्यक सूचनायें देते हुए निम्नानुसार आवेदन कर रहा हूँ:–

(1) फर्म / प्रार्थी का नाम
(2) मण्डी समिति का लाईसेन्स संख्याः– मण्डी समिति से लाइसेन्स लेने का प्रथम कृषि वर्ष
(3) लाईसेन्स की वैधता अवधिः–
(4) विगत तीन कृषि वर्षो में वर्षवार भुगतान किये गये मण्डी शुल्क का विवरण
(i) वर्ष............................में कुल भुगतान मण्डी शुल्क की धनराशि रू0
(ii) वर्ष.........................में कुल भुगतान मण्डी शुल्क की धनराशि रू0
(iii) वर्ष.......................में कुल भुगतान मण्डी शुल्क धनराशि रू0
(5) विगत तीन वर्षो में जमा मण्डी शुल्क का औसत मण्डी मण्डी शुल्क रूः
(6) दुकान व उसकी श्रेणी जिस हेतु अभ्यर्थी इच्छुक हों
(7) स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत जमा कराई जा रही पंजीकरण शुल्क की धनराशि का विवरणः–

बैंक ड्राफ्ट संख्या...............दिनांक.............धनराशि ....बैंक का नाम............मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकरण की समस्त शर्ते पढ़ ली है तथा मुझे योजना की समस्त शर्ते मान्य है। कृपया योजना के अन्तर्गत दुकान आवंटन हेतु मेरा आवेदन पत्र पंजीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षरः–
पूरा नामः–
आवेदक की फर्म में हैसियतः–
फर्म की अधिकृत मुहर

कार्यालय के उपयोग हेतुः–

5. आवेदन पत्र का कमांक................................

6. आवेदन पत्र मण्डी समिति कार्यालय में प्राप्त/जमा होने की तिथि................................

7. आवेदन पत्र कार्यालय के रजिस्टर पृष्ठ सं0....................क्रम सं0....................दिनांक......... ....पर दर्ज कर दिया गया है।

8. सत्यापित किया जाता है कि फर्म/व्यापारी.........................ने इस समिति के कार्यालय में.................श्रेणी की स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली दुकान के आवंटन हेतु पंजीकृत किये जाने के लिए निर्धारित धनराशि रू0 ....इस कार्यालय की रोकड़ रसीद प्रपत्र–7 संख्या...........दिनांक...................द्वारा जमा की है तथा प्राप्त धनराशि की प्रविष्टि मण्डी समिति के कैश बुक के पृष्ठ संख्या............पर कर ली गई है।

हस्ताक्षर

कोष लिपिक/लेखाकार/सहा0 लेखाधिकारी
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,...........................

हस्ताक्षर

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
................जिला....................

किसान बाजार की दुकानों के आवंटन सम्बन्धी नियमावली

(1) समस्त समितियों के नवीन मण्डी/उपमण्डी स्थलों के अन्दर एवं बाहर की तरफ निर्मित किसान बाजार की दुकानों का आवंटन निम्नांकित छः सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगाः–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष	(यदि जिलाधिकारी आवंटन समिति की बैठक में स्वयं भाग न लेकर अपना प्रतिनिधि भेजते है तो उपनिदेशक (प्र0) आवंटन समिति की अध्यक्षता करेंगे तथा जिलाधिकारी का प्रतिनिधि बैठक में सदस्य के रूप में रहेगा)
2. उपनिदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद	सदस्य	
3. सम्बन्धित उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद	सदस्य	
4. लेखाधिकारी मण्डी परिषद	सदस्य	
5. सभापति, सम्बन्धित मण्डी समिति	सदस्य	
6. सचिव, सम्बन्धित मण्डी समिति	सदस्य/संयोजक	

(2) प्रथम बार निर्मित समस्त दुकानों के आंवटन के पश्चात् बीच–बीच में आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाली तथा नई निर्मित होने वाली दुकानों के टेण्डर व नीलामी के लिए निम्न समिति रहेगी। आवंटन के मानक व प्रकिया समान रहेगी।

4. उपनिदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद	अध्यक्ष
5. सभापति, सम्बन्धित मण्डी समिति	सदस्य
6. सचिव, सम्बन्धित मण्डी समिति	सदस्य/संयोजक

(3) किसान बाजार योजना के अधीन दुकानों के आवंटन में आरक्षण निम्नानुसार होगाः–

अ– अनुसूचित जाति   19 प्रतिशत

ब– अनुसूचित जनजाति - 4 प्रतिशत

स– विकलांग 3 प्रतिशत

द– ऐसे कृषक जिनकी भूमि मण्डी स्थल हेतु अधिग्रहीत/क्रय की गई है। 5 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार आरक्षित वर्ग के अलग–अलग अभ्यर्थियों की संख्या नहीं प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में ग्रुपिंग निम्नानुसार होगी:–

(1) (अ) व (ब) को एक वर्ग माना जायेगा।

(2) (स) व (द) को एक वर्ग माना जायेगा। शेष दुकानों को सामान्य वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों के मध्य आवंटित करने की प्रकिया अपनायी जायेगी।

(4) इस नियमावली के लागू होने की तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार से आवंटित होने वाली किसान बाजार की दुकानों हेतु यदि आरक्षण के अनुसार पात्र आवंटी उपलब्ध नही हो पाते हैं अथवा आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित समस्त/कुछ दुकानें आवंटित होने से रह जाती हैं तो उनके लिए अलग से आवंटन का एक और प्रयास विज्ञापन के माध्यम से कम से कम एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा। यदि फिर भी आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित दुकाने आवंटित होने से रह जाती हैं तो आवंटन समिति द्वारा उन कारणों एवं परस्थितियों को स्पष्ट रूप से कार्यवृत्त में विस्तारपूर्वक दर्शाते हुए, जिनके कारण वे दुकाने आवंटित नही हो सकी हैं मण्डी निदेशक को लिखित रूप से प्रकरण संदर्भित किया जायेगा। मण्डी निदेशक स्तर से लिखित अनुमति के बाद आरक्षित वर्ग हेतु अवशेष रिक्त अनावंटित दुकानें सामान्य वर्ग को नियमानुसार आवंटन समिति द्वारा आवंटित की जा सकेगी।

(5) सम्बन्धित उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा दुकानों पर दुकानों की संख्या लिखते हुए एक साइट मानचित्र आवेदकों की सुविधा हेतु मण्डी समिति को दुकानों के हस्तान्तरण के साथ ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) फरवरी, 2009 तक निर्मित हो चुकी तथा रिक्त दुकानों का मूल्यांकन/लागत न्यूनतम प्रीमियम व मासिक किराया अभियन्त्रण शाखा द्वारा यदि पूर्व में मण्डी समिति को उपलब्ध न कराया गया हो तो वो माह मार्च, 2009 के अन्त तक प्राप्त करा दिये जाये तथा भविष्य में निर्मित होने वाली दुकानों का मूल्यांकन/लागत अभियन्त्रण शाखा द्वारा सम्बन्धित दुकानों को मण्डी समिति को हस्तान्तरित करने के साथ ही प्राप्त कराया जायेगा। यह मूल्यांकन/गणना भूमि की प्रचलित बाजार दर तथा पी0डब्ल्यू0डी0 शड्यूल

पर निर्माण की अभिलेख पुष्ट कीमत पर आधारित होगा जिसमें स्थापना व्यय भी शामिल किया जायेगा। बड़े नगरों में 'क' श्रेणी तथा 'क' विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में इस निर्माण का 10 प्रतिशत लाभाशः भी बढ़ाकर मूल्यांकन किया जायेगा। प्रीमियम की धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक होने पर किसान बाजार की दुकान का मासिक किराया रू0 500.00 प्रति दुकान निर्धारित होगा परन्तु प्रीमियम की धनराशि में निर्धारित सीमा रू0 5.00 लाख से कम होने की दशा में प्रीमियम की धनराशि के 1.50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि वार्षिक किराये के रूप में निर्धारित की जायेगी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष परिस्थिति में दुकानों हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का अधिकार मण्डी निदेशक में निहित होगा परन्तु किराया मूल प्रीमियम के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(7) क्रमांक 3,4,5, की सूचनाओं व प्रपत्रों की एक–एक प्रति उसी समय आवंटन समिति के सभी सदस्यों को विधिवत् नीलामी/आवंटन की तिथि के सात दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) किसान बाजार की दुकानों के रिप्रेजेन्टेटिव मूल्य निकालने के लिए दुकानों को उनकी स्थिति (लोकेशन) आकार तथा अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियां जिसका दुकान के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो, के आधार पर अधिकतम 4 या 5 वर्गो में विभाजित किया जायेगा। जैसे कार्नर की दुकान, बीच की दुकान, छोटे साइज की दुकान तथा बड़े साइज की दुकान आदि।

(9) इसके पश्चात प्रत्येक वर्ग की एक–एक दुकान का टेण्डर प्राप्त करके तथा नीलामी पद्धति से बोली बुलवाकर दुकान का उचित मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

(10) नीलामी के लिए पहले न्यूनतम दो समाचार पत्रों, जिनमें एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तरीय होगा, में संलग्नक–1 के प्रारूप पर विज्ञापन द्वारा प्रचार कराया जायेगा। इस विज्ञापन में आरक्षण तथा आवंटन के नियम व शर्तो का विवरण भी दिया जायेगा। आवंटन समिति द्वारा टेण्डर तथा नीलामी में आयी दुकानवार बोली/प्रीमियम पर इस दृष्टि से विशेष रूप से विचार किया जायेगा कि इसमें किसी प्रकार की पूलिंग आदि तो नही हुयी है और तब आवंटन समिति इस बात का प्रमाण पत्र घोषित करेगी कि टेण्डर तथा नीलामी प्रक्रिया निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से हुयी है।

(11) टेण्डर हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

(क) सर्वप्रथम दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में 15 दिन की अवधि रखकर प्रत्येक दुकान के प्रीमियम का अलग–अलग टेण्डर प्राप्त किया जायेगा। सम्बन्धित मण्डी समिति में एक ऐसा बक्सा/पेटी उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें टेण्डर फार्म डाले जाने हेतु आवश्यक ओपनिंग होगी ताकि इन टेण्डरों की गोपनीयता बनी रहे।

(ख) प्राप्त समस्त टेण्डर आवंटन समिति के समक्ष खोले जायेगे जिनमें अंकित की गई दर/मूल्य की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जायेगी।

(ग) टेण्डर बाक्स में टेण्डर डालने का अन्तिम समय नोटिस एवं विज्ञापन में दी गई आवंटन तिथि में आवंटन के समय से दो घण्टे पूर्व तक मान्य होगा।

(12) इसके पश्चात नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

(क) न्यूनतम प्रीमियम की राशि के बाद नीलामी हाल में समस्त टेण्डर दाताओं को अधिकतम बोली लगाने का अवसर दिया जायेगा ताकि समिति को अधिक से अधिक लाभ हो सकें।

(ख) नीलामी अथवा टेण्डर से प्राप्त होने वाली अधिकतम प्रीमियम राशि ही आवंटन का आधार होगी।

उपरोक्त प्रक्रिया प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक अपनाई जायेगी।

(13) यदि नीलामी तथा टेण्डर में सन्तोषजनक बोली/प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है, तब आवंटन समिति को दोबारा या आवश्यक समझे तो तिबारा नीलामी कराकर रिप्रेजेन्टेटिव मूल्य निर्धारित करें। आवंटन समिति का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दुकान के लिए अधिक से अधिक प्रीमियम की धनराशि उस लोकेशन/एरिया में अधिक से अधिक प्राप्त हो सकती हो, निर्धारित करें। उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा प्रीमियम की धनराशि व मासिक किराया निर्धारित न किये जाने के कारण यदि दुकानों का आवंटन रोका जाता है या आवंटन में बिलम्ब होता है तो मण्डी समिति को इस कारण हुयी वित्तीय क्षति के लिए उपनिदेशक (निर्माण) की समस्त जिम्मेदारी समझी जायेगी। प्रत्येक वर्ग की दुकान जिसका रिप्रेजेन्टेटिव मूल्य निर्धारित करने के लिए नीलामी की गई है उसकी सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यापारी को वह दुकान आवंटित की जायेगी और उस वर्ग की अन्य दुकाने उसी रिप्रेजेन्टेटिव बोली तथा निर्धारित प्रीमियम के आधार पर अन्य इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित की जायेगी।

(14) समस्त दुकानों के आवंटन की कार्यवाही एक सीरीज में पूरी की जायेगी और रिप्रेजेन्टेटिव मूल्य की वैधता अधिकतम 90 दिन ही रहेगी।

(15) दुकान आवंटन हेतु टेण्डर नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को संलग्नक–दो के निर्धारित प्रारूप पर ही प्रार्थना पत्र देना होगा जो रू0 20/– भुगतान करने पर मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

(16) दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु मण्डी समिति द्वारा तिथि समय व स्थान निर्धारित किया जायेगा और तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जायेगे।

(17) टेण्डर जमा करने व नीलामी में भाग लेने वालों को प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क के रूप में किसान बाजार की दुकान हेतु निर्धारित प्रीमियम धनराशि का दस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित मण्डी समिति में जमा करना अनिवार्य होगा। दुकान आवंटन के पश्चात् उक्त धनराशि प्रीमियम की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी इस धनराशि को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कम करने का अधिकार मण्डी निदेशक में निहित होगा।

(18) यदि कोई आवेदक आवंटन के पूर्व ही पंजीकृत धनराशि वापस लेना चाहता है तो तद्विषयक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जमा धनराशि को बिना ब्याज के ही मण्डी समिति वापस करेगी।

(19) जिन पंजीकृत आवेदकों को दुकान आवंटित नही हो पायेगी उन्हें जमा की गई पंजीकरण शुल्क की धनराशि मण्डी समिति द्वारा एक माह के अन्दर बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। यदि पंजीकरण के 6 माह के पश्चात आवंटन किया जाता है तो वापस होने वाली धनराशि पर 5% ब्याज देय होगा।

(20) बोली दाता द्वारा बोली गई अधिकतम बोली जो किसी दुकान के लिए अधिकतम है, ऐसे बोली दाता की सफल बोली के उपरान्त यदि एक माह के भीतर अनुबंध सम्पादित करने तथा अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके उसके द्वारा दुकान पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के साथ जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसके प्रति भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(21) आवंटन के 30 दिन के अन्दर प्रीमियम की 50% धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदा करनी होगी। शेष धनराशि 90 दिन में उपरोक्तानुसार ही अदा करनी होगी।

(22) दुकानें 90 वर्ष हेतु पट्टे पर दी जायेगी किन्तु प्रत्येक इक्तीसवें वर्ष के प्रथम दिन से ही किराये की धनराशि में 100% की वृद्धि स्वतः हो जायेगी।

(23) दुकान आवंटन हेतु इच्छुक प्रार्थी का वयस्क होना अनिवार्य है।

(24) आवंटी को उपरोक्तानुसार पट्टे पर दी गई दुकान को वह मण्डी निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष मण्डी परिषद के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य प्रात्र व्यक्ति को समिति द्वारा पूर्व नियत नियम एवं शर्तो के अधीन हस्तांतरित करने का अधिकार इस शर्त पर होगा कि आवंटी द्वारा जमा किये गये प्रीमियम की धनराशि व हस्तान्तरण मूल्य के अन्तर का 50% लाभांश के रूप में मण्डी समिति को दिया जाना होगा व शेष 50% लाभांश आवंटी किरायेदार का होगा। हस्तान्तरण मूल्य जमा प्रीमियम से कम होने की स्थिति में हस्तान्तरण की अनुमति नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी की आवंटित दुकान आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को ही हस्तान्तरित की जायेगी। आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति न मिलने की दशा में अन्य व्यक्ति को आवंटित दुकान हस्तान्तरित करने का अनुमोदन तभी प्रदान किया जायेगा जब इस आशय की संस्तुति सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव/सभापति द्वारा निदेशक मण्डी परिषद को प्रेषित की जायेगी।

(25) आवंटी पट्टेदार को अपनी दुकान बिक्रय करने का पूर्ण अधिकार इस नियमावली की शर्तो के अधीन प्राप्त होगा।

(26) आवंटी द्वारा स्वयं दुकान का उपयोग किया जायेगा अर्थात आवंटी दुकान किसी अन्य व्यक्तियों को किराये पर नहीं उठा सकेगा और न ही आवंटन तथा अनुबंध के पश्चात् साझेदार अथवा नया साझेदार रख सकेगा। इस शर्त के उल्लघंन की स्थिति में दुकान का उपयोग करने वाले व्यक्ति से वार्षिक किराये का पॉच गुना किराया/प्रतिकर तब तक लिया जायेगा जब तक वह अपने पक्ष में विनियमितीरण नहीं करा लेता।

(27) किसान बाजार योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों में सामान्यतया व्यवसाय निर्दिष्ट कृषि उत्पाद सूची की जिन्सों से भिन्न जिन्सों से किया जायेगा परन्तु दुकानों में विस्फोटक सामग्री, मदिरा, मांस, मछली या अन्य कोई व्यापार जो म्यूनिसिपालिटी आदि अधिनियमों में आपत्तिजनक घोषित किया गया हो, का व्यापार करना पूर्णतया निषिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में परिसर का उपयोग करने वाले पर वार्षिक किराये की पॉच गुनी धनराशि प्रतिमाह प्रतिकर के रूप में आरोपित तथा वसूल की जायेगी। इन शर्तो का उल्लंघन करने वाले आवंटियों से तीन माह का नोटिस देकर नियमतः दुकान खाली भी कराई जायेगी।

(28) किराये की गणना अंग्रेजी मास की पहली तारीख से की जायेगी।

(29) नगर पालिका/टाउन एरिया, राज्य सरकार आदि द्वारा लगाये जाने वाला समस्त लोकल टैक्स, फीस आदि अन्य देयों के भुगतान की जिम्मेदारी आवंटी पर होगी।

(30) प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त ही एक माह के भीतर अनुबंध पत्र के आधार पर दुकान पर आवंटी को कब्जा दिया जायेगा।

(31) आवंटी को पट्टागत किराया त्रैमासिक किश्तों में प्रत्येक चौथे माह की तीन तारीख तक समिति को अदा करना होगा।

(32) औपचारिक आवंटन के प्रस्ताव का पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवंटी द्वारा टेण्डर/नीलामी में आये प्रीमियम की पचास प्रतिशत राशि समिति कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगी उसके पश्चात् 30 दिनों के अन्दर अवशेष प्रीमियम जमा करके आवंटी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर यदि दुकान का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई पंजीकरण/प्रीमियम तथा अन्य प्रकार की जमा की गई समस्त प्रकार की धनराशि के बतौर हर्जाना जब्त कर लिया जायेगा।

(33) आवंटन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा समस्त औपचारिकताएं जिसमें दुकान का कब्जा लेना सम्मिलित हैं, की पूर्ति के पूर्व मुत्यु हो जाने की दशा में मण्डी समिति द्वारा उक्त दुकान उसके नामिनी यदि आवेटन पत्र में कोई हो, इसके वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में आवंटित की जा सकती है। ऐसी दशा में मण्डी समिति को सन्तुष्टि हेतु उत्तराधिकार सम्बन्धित प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होगें एवं ऐसे नामिनी/उत्तराधिकारी को मण्डी समिति के समस्त नियमों, शर्तो का पालन करना होगा। उत्तराधिकारी यदि एक से अधिक होगें तब उपनिदेशक (प्र0) व निदेशक, मण्डी परिषद का निर्णय कि जनहित में जिसको भी वह आवंटित करना सर्वोचित समझता है, मान्य व अन्तिम होगा।

(34) आवंटियों को दुकान के विधिक हस्तांतरण हेतु संलग्नकः– पर उपलब्ध परिषद मुख्यालय से अनुमोदित प्रारूप पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा। अनुबंध पत्र भर कर स्टाम्प पर निष्पादन करना व आवश्यकतानुसार रजिस्ट्री कराया जाना होगा।

(35) किसान बाजार की दुकानों में से उपयुक्त स्थान पर दो दुकानें एक साथ चिकित्सक/मेडिकल स्टोर हेतु तथा एक दुकान कृषि निवेश के अन्तर्गत खाद, बीज तथा कृषि संयत्रों का कारोबार करने वाली सहकारी संस्थानों हेतु आरक्षित रहेगी।

(36) उपरोक्त नियमों व आवंटन प्रक्रिया में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार मा0 अध्यक्ष मण्डी परिषद के अनुमोदनोरान्त मण्डी निदेशक को होगा। इस

नियमावली के अधीन आवंटित की गई दुकानों तथा आवंटन की प्रक्रिया आदि सम्बन्धित समस्त प्रकार के वाद–विवाद के सम्बन्ध में मण्डी निदेशक का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(37) किसान बाजार की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में आवंटन कमेटी द्वारा की गयी कार्यवाही निदेशक को प्रेषित की जायेगी। निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष, मण्डी परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा आवंटित व्यक्तियों को आवंटन आदेश निर्गत किये जायेगे।

आकस्मिक रूप से यदि मण्डी स्थल में किसान बाजार की रिक्त दुकानों की संख्या तीन या तीन से कम हो तो सचिव/सभापति नियत मानकों एवं नियमों के आधार पर आवंटन के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशक को प्रेषित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटी व्यक्तियों को आवंटन आदेश निर्गत किये जायेंगे।

मण्डी निदेशक

किसान बाजार की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में समाचार पत्र में प्रकाशन का आलेख

मण्डी समिति ....के मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के बाहर निर्मित किसान बाजार की दुकानों का आवंटन टेण्डर तथा नीलामी पद्धति द्वारा प्रस्तावित है। अतः इच्छुक आवेदनकर्ता दुकान लेने हेतु दिनांक............तक मण्डी समिति कार्यालय से निर्धारित फीस जमा कर टेण्डर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर लें तथा उसे भरकर दिनांक..........तक मण्डी समिति कार्यालय में जमा कर दें।

किसान बाजार की दुकानों के आवंटन में आरक्षण निम्नानुसार होगाः–

अ– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
ब– अनुसूचित जनजाति	4 प्रतिशत
स– विकलांग	3 प्रतिशत
द– ऐसे कृषक जिनकी भूमि मण्डी स्थल हेतुअधिग्रहीत/क्रय की गई है।	5 प्रतिशत

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

............जनपद.............

किसान बाजार की दुकान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदन का नाम :
2. शैक्षिक योग्यता :
3. पिता का नाम :
4. स्थाई पता :
5. अस्थाई पता :
6. दूरभाष नम्बर :
7. आवेदक की जन्मतिथि :
8. आवेदक की जाति/वर्ग (आरक्षित वर्ग का होने की दशा में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय) :
9. आवेदक का व्यवसाय :
10. वार्षिक आय :
11. क्या आवेदक के परिवार के किसी सदस्य अथवा फर्म को मण्डी स्थल के भीतर दुकान आवंटित है ?
12. यदि है तो उसका नाम दुकान संख्या :
    आवंटित दुकान पर कब्जा लेने की तिथि :
13. आवेदक कौन सी दुकान हेतु टेण्डर व नीलामी में भाग लेना चाहता है (पूरा विवरण) :
14. संलग्न प्रतिभूमि के ड्राफ्ट का विवरण :
    बैंक ड्राफट संख्या :
    तिथि :
    धनराशि :
    किसके पक्ष में :
15. उत्तराधिकारी का विवरण :
16. अन्य विवरण :

आवेदक के हस्ताक्षर

(तिथि सहित)

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिह नगर)

फोन 05944–250058
फैक्स: 05944–250059

पत्रांक:उ0म0प0/विप0/दु0आ0नि0 (674)/2010–768 दिनांक 3-4-2010

समस्त सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियां,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड की मण्डी समितियों में निर्मित व्यावसायिक दुकानों, मत्स्य बाजार की दुकानों, गोदामों, केन्टीनों एवं किसान बाजार की दुकानों आदि के आवंटन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान एवं गोदाम आवंटन नियमावली 2009 में सभी प्रकार की दुकानों आदि के आवंटन के सम्बन्ध में गठित दोनों आवंटन समितियों के स्थान पर मण्डी समिति के सभापति की अध्यक्षता में पूर्व नियमावली में गठित सात सदस्यों की समिति को पूर्ववत बनाये रखे जाने का प्रस्ताव संख्या 11 मा0 परिषद की सत्रहवीं बैठक दिनांक 5.03.2010 को मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसका अनुमोदन मा0 परिषद द्वारा प्रदान किया गया है।

मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तीन से अधिक सभी प्रकार की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित दोनों आवंटन समितियों के स्थान पर सम्बन्धित मण्डी समिति के सभापति की अध्यक्षता में सात सदस्यों की समिति निम्नवत होगी–

(1) सम्बन्धित मण्डी समिति के सभापति	अध्यक्ष
(2) विपणन अधिकारी, मण्डी परिषद	सदस्य
(3) सम्बन्धित मण्डी समिति के सहायक अभियन्ता	सदस्य
(4) लेखाधिकारी, मण्डी परिषद	सदस्य
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी	सदस्य
(6) सम्बन्धित व्यापार संघ का अध्यक्ष	सदस्य
(7) सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव	सदस्य/सचिव

उपरोक्त गठित समिति द्वारा तीन से अधिक सभी प्रकार की दुकानों का आवंटन प्रचलित आवंटन नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। आकस्मिक

रूप से तीन या तीन से कम सभी प्रकार की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध प्रचलित नियमावली में की गयी व्यवस्था को यथावत रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः सभी मण्डी समितियॉ सभी प्रकार की दुकानों आदि के आवंटन के सम्बन्ध में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(पी0के0मुलासी)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांकःयथोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. उपनिदेशक (प्रशासन), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)।
3. उपनिदेशक (निर्माण), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर/देहरादून/हल्द्वानी।
4. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधमसिहनगर)।
5. विपणन अधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधमसिहनगर)।
6. समस्त सहायक अभियंता, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूदपुर /हल्द्वानी एवं देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधमसिहनगर) को मा0 अध्यक्ष जी के संज्ञान मे लाने हेतु।
8. गार्ड फाईल/सूचना प्रकोष्ठ/ परिषद बैठक पत्रावली हेतु।

मण्डी निदेशक

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

फोन 05944-250058
फैक्स: 05944-250059

पत्रांक:-उ0म0प0/दु0आ0नि0संशो0(674-।।)/2010- 3443 दिनांक: 20/11/10

समस्त सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड की मण्डी समितियों में निर्मित किसान बाजार/व्यवसायिक दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की सत्रहवीं बैठक दिनांक 05.03.20010 में ''उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली- 2009'' का अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त नियमावली के साथ प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी सथल में निर्मित खाद्यान्न, फल-सब्जी, मत्स्य और किसान बाजार की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अनुबन्ध का प्रारूप एक ही प्रारूप में तैयार किया गया था। मण्डी समितियों में दुकाने के आवंटन के सम्वन्ध में निस्तारित किये जाने वाले अनुबन्धों के निस्तारण में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए किसान बाजार एवं व्यसायिक दुकानों के अनुबन्ध हेतु पृथक-पृथक प्रारूप तैयार किये गये हैं, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किंये जा रहे हैं।

अतः संलग्न अनुबन्ध प्रारूप के अनुसार दुकानों के आवंटन के पश्चात् अनुबन्ध का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोपरि

(पी0एस0 कुटियाल)
मण्डी निदेशक
01/5/11

मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित खाद्यान्न, फल सब्जी, मत्स्य की आवंटित दुकानों हेतु अनुबन्ध की शर्ते

यह विलेख दिनांक ....महीना ....सन्.................को कृषि उत्पादन मण्डी समिति ....जिला...................(जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–12 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है जिसको इस विलेख में सुविधा के लिए आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा और जिसका कार्यालय नवीन मण्डी स्थल ....पर स्थित है, द्वारा सचिव, मण्डी समिति ....श्री ....पुत्र श्री..................................

प्रथम पक्ष (लेसर)

एवं

श्री.........................पुत्र श्री................................ आयु ....निवासी............................ .... जिसे सुविधा के लिए आगे द्वितीय पत्र कहा जायेगा के मध्य निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है:–

द्वितीय पक्ष (लेसी)

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा खाद्यान्न/फल सब्जी/मत्स्य के अन्तर्गत प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित दुकानों में से उक्त दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अपनाये गये नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष को दुकान संख्या.............जिसका पूर्ण विवरण तथा मानचित्र संलग्नक में दिया है, को आवंटन आदेश संख्या................. दिनांक.....................द्वारा रूपया...................... प्रति माह किराये पर निम्नलिखित शर्तो के अनुसार आवंटित कर दी गयी है, जिससे दोनों पक्ष सहमत हों और बाध्य रहेगें।

शर्ते

1. यह कि दुकान की किरायेदारी की अवधि.......................माह ....सन्..............से प्रारम्भ होगी, जो माह दर माह चलेगी और उसकी गणना अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख से की जायेगी।
2. यह कि अनुबंध की तिथि के बाद एक सप्ताह के भीतर कब्जा प्राप्त करने के पूर्व द्वितीय पक्ष 06 माह का अग्रिम किराया मण्डी समिति में जमा करेगा, जो अगले किराये में समायोजित कर लिया जायेगा।

3. यह कि दुकान का किराया अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख से प्रारम्भ होगा। आवंटी द्वारा देय त्रैमासिक किराया अर्थात प्रत्येक 03 माह बाद चौथे महीन की तीसरी तारीख तक समिति कार्यालय में नगत/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

4. यह कि देय किराये को चौथे माह की उक्त नियत तिथि के बाद विलम्ब से जमा करने की स्थिति में आवंटी (द्वितीय पक्ष) को प्रथम तिमाही के देय किराये पर 10% द्वितीय तिमाही के देय किराये पर 20% तथा तृतीय तिमाही के देय किराये पर 40% विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

5. यह कि यदि एक वर्ष में देय किराया व उपरोक्तानुसार विलम्ब शुल्क समिति कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित लाईसेंसी का लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करने, दुकान खाली कराने व बकाया की वसूली मण्डी अधिनिमय की धारा–20 के अन्तर्गत करने का प्रथम पक्ष को अधिकार होगा।

6. यह कि निर्धारित किये गये दुकान के किराये में प्रत्येक पॉचवे वर्ष के अन्तिम माह में किराये में 20% प्रतिमाह की वृद्धि स्वतः हो जायेगी जिसे स्वीकार करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

7. यह कि ऐसे व्यापारी जिन्हें दुकान आवंटित है और लगातार 01 वर्ष से कोई व्यापार नहीं कर रहे उनसे नियमानुसार दुकान तत्काल खाली करवाकर पुनः पात्र व्यक्ति को नियमतः आवंटित करने का प्रथम पक्ष अर्थात मण्डी समिति को अधिकार होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष स्वयं ही नगर पालिका/टाउनएरिया, जल संस्थान अन्य स्थानीय निकायों व राज्य सरकार आदि द्वारा लगाये जाने वाले समस्त टैक्सों/कर/शुल्क/फीस आदि अन्य जो भी देय हो व बिजली व पानी के खर्चे व मीटर आदि के व्यय का भुगतान सम्बन्धित विभागों को सीधे करेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा टैक्ससे/फीस बिजली पानी आदि का भुगतान नहीं किया जाता और उक्त का भुगतान प्रथम पक्ष को करना पड़ता है तो वह उसे द्वितीय पक्ष से मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल कर सकता है।

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मण्डी/उपमण्डी स्थल के अन्तर्गत निर्मित व आवंटित दुकानों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों/कृषि संयत्र/खाद्य व बीज/ट्रांसपोर्ट (जो लागू हो, वही लिखा जाय) का ही व्यवसाय किया जा सकेगा।

10. यह कि किरायेदारी के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष समय--समय पर मण्डी विनियमन के विचार से यदि कोई निर्देश देता है, तो द्वितीय पक्ष इन निर्देशों का भी पालन करेगा।

11. यह कि इस अनुबंध पत्र को निष्पादित कराने के सम्बन्ध में समस्त खर्चा जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य विविध व्यय शामिल है, को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष बिना प्रथम पक्ष की लिखित विधि सम्मत अनुमति के दुकान में कोई भी निर्माण कार्य, परिवर्तन, विस्तार अथवा विभाजन नहीं करेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा उनके द्वारा समय–समय पर सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को सभी समुचित समयों पर विनियमन कार्यो हेतु निरीक्षण के प्रयोजनार्थ दुकान में प्रवेश करने की अनुमति/सुविधा देगा।

14. यह कि प्रश्नगत किरायेदारी की अवधि.................... होगी। इस अवधि को प्रथम पक्ष द्वारा मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुसार द्वितीय पक्ष की सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

15. यह कि औपचारिक आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर आवंटी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर यदि दुकान का कब्जा नहीं लेता है, तो आवंटन निरस्त माना जायेगा।

16. यह कि द्वितीय पक्षकार की मृत्यु को जाने के पश्चात् आवंटन सुविधा समाप्त हो जायेगी, किन्तु उसके पुनः आवंटन के लिए मृतक के उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए आवेदक को प्रथम पक्षकार की सन्तुष्टि हेतु उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं तत्सम्बन्धी मण्डी समिति/मण्डी परिषद के समस्त नियमों/शर्तो का पालन करना होगा। उत्तराधिकारी यदि एक से अधिक होगें तब वास्तविक उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार उपनिदेशक (प्रशासन) में निहित होगा और उनका निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा। उत्तराधिकारी के नाम दुकान तभी आवंटित की जायेगी, जब इसके पास मण्डी समिति का लाईसेंस होगा।

17. यह कि इस प्रकार निर्मित व आवंटित दुकान पर पूर्ण स्वामित्व प्रथम पक्ष अर्थात मण्डी समिति का ही होगा तथा द्वितीय पक्ष मात्र किरायेदार होगा।

18. यह कि उक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह दुकान का आवंटन निरस्त कर दुकान खाली करा सकेगा।

19. यह कि आवंटन प्रकिया में समय–समय पर संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार मा0 अध्यक्ष मण्डी परिषद के अनुमोदनोपरान्त मण्डी निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन

मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) में निहित होगा। मण्डी निदेशक का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20. यह कि अनुबंध पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रथम पक्ष अर्थात मण्डी समिति को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को एक माह का लिखित नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर दे एवं कब्जा वापस ले ले।

21. यह कि द्वितीय पक्ष यदि किरायेदारी समाप्त करना चाहता है, तो वह एक माह का अग्रिम नोटिस अथवा एक माह के किराये का भुगतान कर किरायेदारी समाप्त कर दुकान का वास्तविक कब्जा प्रथम पक्ष को दे देगा।

22. उक्त शर्तो, में किसी प्रकार का विवाद होने पर मण्डी निदेशक अथवा उनके नामित प्रतिनिधि का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

23. यह कि दुकान की चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूर्व.................................

पश्चिम...........................

उत्तर..............................

दक्षिण.............................

24. यह कि उपरोक्त समस्त शर्तो को पढ़कर, समझकर दोनों पक्षों ने सहमति से गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर विलेख निष्पादित किया।

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

द्वारा

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
.......................जनपद.............

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

गवाह के हस्ताक्षर

गवाह नं0–1....................

गवाह न0–2.......................

किसान बाजार योजना के अन्तर्गत आवंटित दुकान हेतु अनुबन्ध की शर्ते

यह विलेख दिनांक..................महीना..................सन्..................को कृषि उत्पादन मण्डी समिति..............जिला.............. **(जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त)** की धारा–12 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है, जिसको इस विलेख में सुविधा के लिए आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा और जिसका कार्यालय नवीन मण्डी स्थल......... ....पर स्थित है, द्वारा सचिव, मण्डी समिति..................श्री ....पुत्र श्री......................

प्रथम पक्ष (लेसर)

एवं

श्री............पुत्र श्री...............आयु...................निवासी.. ....जिसे सुविधा के लिए आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा, के मध्य निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है:–

द्वितीय पक्ष (लेसी)

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा किसान बाजार योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों में से उक्त योजना के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष को दुकान संख्या............... जिसका पूर्ण विवरण तथा मानचित्र संलग्नक में दिया है, को आवंटन आदेश संख्या................ दिनांक..............द्वारा रू0................ प्रतिमाह किराये पर एवं रू0.....................के प्रीमियम पर निम्नलिखित शर्तो के अनुसार आवंटित कर दी गयी है, जिससे दोनों पक्ष सहमत है और बाध्य रहेंगे।

शर्ते

1. यह कि दुकान की किरायेदारी की अवधि दिनांक................माह...............सन्............से प्रारम्भ हुई। जो माह दर माह चलेगी और उसकी गणना अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख से की जायेगी।
2. यह कि दुकान निम्नलिखित शर्तो के अधीन 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में तीस–तीस वर्ष के अंत पर किराये की दर में 100 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को दुकान किरायेदारी की बची हुई शेष अवधि के लिए प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत हस्तान्तरण पत्र द्वारा परिषद के पूर्व लिखित अनुमोदन से हस्तान्तरण करने का अधिकार इस शर्त पर होगा कि वह उक्त प्रीमियम की धनराशि व हस्तान्तरण मूल्य के अन्तर का 50 प्रतिशत लाभांश सम्बन्धित मण्डी समिति को देगा व शेष 50 प्रतिशत उस आवंटी किरायेदार का अपना होगा। हस्तान्तरण मूल्य प्रीमियम से कम होने की स्थिति में हस्तान्तरण की अनुमति नहीं होगी।
4. यह कि उक्त पद्धति से आवंटित दुकान को प्राप्त करने हेतु द्वितीय पक्ष को बोली स्वीकृति होने की तिथि से 30 दिन के भीतर बोली में घोषित प्रीमियम का 1/2 भाग जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 90 दिन में एकमुश्त जमा करनी होगी। विशेष अनुमति की दशा में 90 दिन से अधिक बिलम्ब से जमा करने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से कम्पाउण्ड ब्याज विलम्ब अवधि हेतु देय होगा।

5. द्वितीय पक्ष कब्जा प्राप्त होने के पश्चात अगले माह से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक पिछले माह का किराया प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करेगा। किराया समय से जमा न करने की स्थिति में देय तिथि से 15 दिन की अवधि के पश्चात अदत्त समय के लिए उस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुकानों का उपयोग स्वयं अपने लिये किया जायेगा द्वितीय पक्ष किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं उठा सकेगा और न ही कोई किसी किरायेदार, साझेदार रखेगा अथवा नया साझेदार बनायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष नगरपालिका/टाउन एरिया, जल संस्थान अन्य स्थानीय निकायों, केन्द्रीय व राज्य सरकार आदि द्वारा लगाये जाने वाले समस्त स्थानीय टैक्सों/कर/शुल्क/फीस आदि अन्य जो भी देय हों व बिजली व पानी के खर्चे व मीटर आदि के व्यय का भुगतान सीधे करेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा टैक्सेस/फीस बिजली पानी आदि का भुगतान नहीं किया जाता और उक्त का भुगतान प्रथम पक्ष को करना पड़ता है, तो वह उसे द्वितीय पक्ष से मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल कर सकता है।
8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किसान बाजार योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों में सामान्यतया व्यवसाय निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के अलावा मण्डी में आने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की साधारण आवश्यकता की वस्तुओं के सम्बन्ध में करेगा, किन्तु दुकान में विस्फोटक सामग्री, मदिरा, मॉस, मछली या अन्य ऐसा व्यापार जो स्थानीय निकायों द्वारा या अन्य किसी प्रकार से आपत्तिजनक समझा जायेगा, जिसको मण्डी समिति/मण्डी परिषद उचित न समझे व्यापार करना निषिद्ध होगा।
9. किरायेदारी के संबंध में प्रथम पक्ष समय–समय पर मण्डी विनियमन के विचार से यदि कोई निर्देश देता है, तब द्वितीय पक्ष उन निर्देशों का भी पालन करेगा।
10. यह कि प्रश्नगत अनुबन्ध पत्र को निष्पादित कराने के सम्बन्ध में समस्त खर्चा जिसमें स्टैम्प डयूटी, रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य विविध व्यय शामिल हैं। द्वितीय पक्ष वहन करेगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष बिना प्रथम पक्ष की सहमति के दुकान में कोई निर्माण कार्य, परिवर्तन अथवा विभाजन नहीं करेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा उनके द्वारा समय–समय पर सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को सभी समुचित समयों पर विनियमन हेतु कार्यो के निरीक्षण हेतु दुकान में प्रवेश करने की अनुमति/सुविधा देगा।
13. यह कि प्रश्नगत किरायेदारी की अवधि............................की होगी। अवधि को प्रथम पक्ष द्वारा मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुसार द्वितीय पक्ष की सहमति के आधार पर बढाया जा सकता है।
14. यह कि द्वितीय पक्ष दुकान का कब्जा लेने के एक वर्ष के अन्दर अपने व्यापार को अलाभकारी पाता है, तो वह व्यापार समाप्त करने तथा दुकान को वापस करने का आवेदन पत्र दे सकता है, उक्त स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को 25 प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि काटकर शेष भुगतान कर देगा, इसके अनुवर्ती वर्षो में आवेदन पत्र पर क्रमशः प्रथम वर्ष के बाद 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रथम पक्ष अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि से कटौती करेगा।

15. औपचारिक आवंटन निर्गत होने के पश्चात् 90 दिन के अन्दर आवंटी समस्त औपचारिकताये पूर्ण कर यदि दुकान का कब्जा नहीं लेता है, तो आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी प्रीमियम धनराशि का 15 प्रतिशत अंश तथा पंजीकरण शुल्क बतौर हर्जाना जब्त कर लिया जायेगा।
16. यह कि द्वितीय पक्षकार की मृत्यु हो जाने के पश्चात आवंटन स्वतः समाप्त हो जायेगा, किन्तु उसके पुनः आवंटन के लिए मृतक के उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी इसके लिए आवेदक को प्रथम पक्षकार की संन्तुष्टि हेतु उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं तत्संबंधी मण्डी समिति/मण्डी परिषद के समस्त नियमों शर्तो का पालन करना होगा। उत्तराधिकारी यदि एक से अधिक होंगे तब निदेशक मण्डी परिषद को यह अधिकार होगा कि वह जनहित के आधार पर प्राथमिकता हेतु चयन कर सकेगें जो अन्तिम होगा। मृतक के उत्तराधिकारी को शेष अवधि के लिए आवंटन होने की दशा में कोई अतिरिक्त प्रीमियम उत्तराधिकारी से नहीं लिया जायेगा।
17. यह कि आवंटन प्रक्रिया में समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार मण्डी निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) को होगा। मण्डी निदेशक का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. यह कि अनुबन्ध पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को एक माह का लिखित नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर दे एवं कब्जा वापस ले ले।
19. उक्त शर्तो में किसी प्रकार का विवाद होने पर मण्डी निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों को मान्य होगा। इसके लिए असंतुष्ट पक्ष विवाद उत्पन्न होने के 60 दिन के अन्दर विपक्षी पक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पक्ष एक स्वतः स्पष्ट प्रत्यावेदन के रूप में पूर्ण विवरण सहित मण्डी निदेशक, मण्डी परिषद, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा। मण्डी निदेशक उसको तय करने के लिए स्वयं या अन्य कार्यरत या सेवा निवृत्त अधिकारी को पंच नियुक्त करेगा और वह पंच उस विवाद को आरबीटेशन एक्ट 1940 के प्राविधानों के अनुसार एवार्ड के रूप में निर्णय करेगा।
20. यह कि दुकान की चौहद्दी निम्नवत् है:-

पूर्व...
पचिम.......................................
उत्तर...
दक्षिण.......................................

21. यह कि उपरोक्त समस्त शर्तो को पढ़कर समझकर दोनों पक्षों ने सहमति से गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर यह विलेख निष्पादित किया।

प्रथम पक्षकार : **द्वितीय पक्षकार :**
द्वारा सचिव, मण्डी समिति.......

गवाह नं0-1
गवाह नं0-2

आदेश

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक दिनांक 27.02.103 में लिये गये निर्णय द्वारा बोर्ड पत्रांक: उ0म0प0/विपणन/दु0आ0नि0सं0पत्रा0(674)–1732 दिनांक 11 जून, 2009 के माध्यम से निर्गत "कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली, 2009" में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं–

1– किसान बाजार संबंधी नियम– 24 के शब्द एवं अंक "आवंटी द्वारा जमा किये गये प्रीमियम की धनराशि व हस्तान्तरण मूल्य के अन्तर का 50% लाभांश के रूप में मण्डी समिति को दिया जाना होगा व शेष 50% लाभांश आवंटी किरायेदार का होगा।" के स्थान पर शब्द एवं अंक रख दिये जायेगें अथात्– "दुकान को अपने पक्ष में हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति द्वारा निमय–24 (क) के अन्तर्गत आगणित प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समिति में जमा करनी होगी। सम्पत्ति हस्तांतरण के विषय में शासकीय अपेक्षित दायित्व दोनों (आवंटी एवं हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति) पक्षों के अपने–अपने होगें।"

2– "कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली, 2009" के किसान बाजार संबंधी नियम– 24 के पश्चात् नियम–24 (क) बढ़ा दिया जायेगा–

"24(क) नियम 24 के अन्तर्गत प्रीमियम की गणना हेतु निम्नवत् फार्मूला प्रयोग में लाया जायेगा।

प्रीमियम = दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) X (क2 – क1)

जहां क1 – आवंटन के समय या विगत विक्रय के समय, जो भी प्रयोजनीय हो, जिलाधिकारी द्वारा नियत भूमि सार्केल मूल्य प्रति वर्ग मीटर है।

क2– हस्तांतरण/नामांतरण की तिथि को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट प्रति वर्ग मीटर है।"

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रबन्ध निदेशक
0/c

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांक:–कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2013–1645 दिनांक 13/03/13

प्रतिलिपि

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

प्रबन्ध निदेशक
0/c

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.9.2013 में बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के कम में बोर्ड पत्रांक उ0म0प0/विपणन/दु0आ0नि0सं0पत्रा0(674)–1732 दिनांक 11 जून,2009 के माध्यम से निर्गत " कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली,2009" एवं उसके संलग्नकों में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैः–

(अ) नियमावली में वर्तमान नियम एवं संशोधित नियम

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
(6) "फरवरी, 2009 तक निर्मित हो चुकी तथा रिक्त दुकानों का मूल्यांकन/लागत न्यूनतम प्रीमियम व मासिक किराया अभियन्त्रण शाखा द्वारा यदि पूर्व में मण्डी समिति को उपलब्ध न कराया गया हो तो वो माह मार्च, 2009 के अन्त तक प्राप्त करा दिये जाये तथा भविष्य में निर्मित होने वाली दुकानों का मूल्यांकन/लागत अभियन्त्रण शाखा द्वारा सम्बन्धित दुकानों को मण्डी समिति को हस्तान्तरित करने के साथ ही प्राप्त कराया जायेगा। यह मूल्यांकन/गणना भूमि की प्रचलित बाजार दर तथा पी0डब्ल्यू0डी0 शड्यूल पर निर्माण की अभिलेख पुष्ट कीमत पर आधारित होगा जिसमें स्थापना व्यय भी शामिल किया जायेगा। बड़े नगरों में 'क' श्रेणी तथा 'क' विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में इस निर्माण का 10 प्रतिशत लाभाशः भी बढ़ाकर मूल्यांकन किया जायेगा। प्रीमियम की धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक होने पर किसान बाजार की दुकान का मासिक किराया रू0 500.00 प्रति दुकान निर्धारित होगा परन्तु प्रीमियम की धनराशि में निर्धारित सीमा रू0 5.00 लाख से कम होने की दशा में प्रीमियम की धनराशि के 1.50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि वार्षिक किराये के रूप में निर्धारित की जायेगी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष परिस्थिति में दुकानों हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का अधिकार मण्डी निदेशक में निहित होगा परन्तु किराया मूल प्रीमियम के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।"	**(6)** "फरवरी, 2009 तक निर्मित हो चुकी तथा रिक्त दुकानों का मूल्यांकन/लागत न्यूनतम प्रीमियम व मासिक किराया अभियन्त्रण शाखा द्वारा यदि पूर्व में मण्डी समिति को उपलब्ध न कराया गया हो तो वो माह मार्च,2009 के अन्त तक प्राप्त करा दिये जाये तथा भविष्य में निर्मित होने वाली दुकानों का मूल्यांकन/लागत अभियन्त्रण शाखा द्वारा सम्बन्धित दुकानों को मण्डी समिति को हस्तान्तरित करने के साथ ही प्राप्त कराया जायेगा।यह मूल्यांकन/गणना भूमि की प्रचलित बाजार दर तथा पी0डब्ल्यू0डी0 शड्यूल पर निर्माण की अभिलेख पुष्ट कीमत पर आधारित होगा जिसमें स्थापना व्यय भी शामिल किया जायेगा। बड़े नगरों में 'क' श्रेणी तथा 'क' विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में इस निर्माण का 10 प्रतिशत लाभाशः भी बढ़ाकर मूल्यांकन किया जायेगा। प्रीमियम की धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक होने पर किसान बाजार की दुकान का मासिक किराया रू0 500.00 प्रति दुकान निर्धारित होगा परन्तु प्रीमियम की धनराशि में निर्धारित सीमा रू0 5.00 लाख से कम होने की दशा में प्रीमियम की धनराशि के 1.50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि वार्षिक किराये के रूप में निर्धारित की जायेगी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष परिस्थिति में दुकानों हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का अधिकार मण्डी निदेशक में निहित होगा परन्तु किराया मूल प्रीमियम के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।"

	"6(क)– प्रत्येक वित्तीय वर्ष आवंटन हेतु अवशेष उपलब्ध किसान बाजार की दुकानों का प्रीमियम निर्धारण हेतु 1 अप्रैल को उपनिदेशक (निर्माण) को विवरण प्रेषित किये जायेगें तथा उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा 10 अप्रैल तक लागू सर्किल रेट पर आधारित भूमि दरों का प्रयोग करते हुए प्रीमियम का निर्धारण कर मण्डी समिति एवं बोर्ड मुख्यालय को सूचित कराया जायेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जा रहे आवंटन की कार्यवाही उक्त वर्ष हेतु निर्धारित नवीनतम् प्रीमियम दरों के आधार पर नीलामी कार्यवाही करके की जायेगी।"
(21) आवंटन के 30 दिन के अन्दर प्रीमियम की 50% धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदा करनी होगी। शेष धनराशि 90 दिन में उपरोक्तानुसार ही अदा करनी होगी।	(21) औपचारिक आवंटन के प्रस्ताव का पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर प्रीमियम की 50% धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदा करनी होगी। शेष धनराशि 90 दिन में उपरोक्तानुसार ही अदा करनी होगी। **90 दिन से अधिक बिलम्ब में जमा करने पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से छमाही कम्पाउण्ड ब्याज बिलम्ब की अवधि हेतु देय होगा। विशेष परिस्थिति में मण्डी समिति से विशेष अनुमति से बिलम्ब की अवधि औपचारिक आवंटन आदेश की तिथि से अधिकतम 6 माह तक बढायी जा सकती है।**
22. दुकानें 90 वर्ष हेतु पट्टे पर दी जायेगी किन्तु प्रत्येक इकत्तीसवें वर्ष के प्रथम दिन से ही किराये की धनराशि में 100% की वृद्वि स्वतः हो जायेगी।	22. दुकानें 90 वर्ष हेतु पट्टे पर दी जायेगी किन्तु पट्टा तीस वर्ष हेतु अभिलिखित किया जायेगा प्रत्येक इकत्तीसवें वर्ष के प्रथम दिन से ही किराये की धनराशि में 100% की वृद्वि स्वतः हो जायेगी। परन्तु प्रत्येक तीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पट्टा धारक द्वारा आवेदन कर नवीनीकृत कराना अनिवार्य होगा।
30. प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त ही एक माह के भीतर अनुबंध पत्र के आधार पर दुकान पर आवंटी को कब्जा दिया जायेगा।	30. प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त ही अनुबंध पत्र के आधार पर दुकान पर आवंटी को कब्जा दिया जायेगा।

32. औपचारिक आवंटन के प्रस्ताव का पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवंटी द्वारा टेण्डर / नीलामी में आये प्रीमियम की पचास प्रतिशत राशि समिति के कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट् के माध्यम से जमा की जायेगी उसके पश्चात 30 दिनों के अन्दर अवशेष प्रीमियम जमा करके आवंटी समस्त औपचारिक्ताएं पूर्ण कर यदि दुकान का कब्जा नही लेता है आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई पंजीकरण / प्रीमियम तथा अन्य प्रकार की जमा की गई समस्त प्रकार की धनराशि के बतौर हर्जाना जब्त कर लिया जायेगा।	32. औपचारिक आवंटन के प्रस्ताव का पत्र प्राप्त होने पर **नियम–21** के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त धनराशि जमा कर दुकान का कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई पंजीकरण, प्रीमियम एवं अन्य प्रकार की जमा की गई समस्त धनराशि बतौर हर्जाना जब्त कर ली जायेगी।

(ब) नियमावली में परिभाषायें "शीर्षक" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या (5) में पूर्व व्यवस्था में एवं संशोधन :–

पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(5) " सभापति" का तात्पर्य मण्डी समिति के सभापति से है।	(5) " सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा प्रशासक" का तात्पर्य मण्डी समिति के सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान / गोदाम आवंटन नियमावली, 2009 में परिभाषाऐं के अन्तर्गत बिन्दु (5) में " सभापति का तात्पर्य मण्डी समिति के सभापति से है के स्थान पर सभापित अथवा अध्यक्ष अथवा प्रशासक का तात्पर्य जहां शब्द सभापति अंकित है वहां पर सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा प्रशासक शब्द पड़ा जायें की व्यवस्था की जानी है।

(स) अनुबन्ध की शर्तो में संशोधन :–

अनुबन्ध पत्र में निर्धारित की गयी शर्तें	अनुबन्ध पत्र की संशोधित शर्तें
2. यह कि दुकान निम्नलिखित शर्तो के अधीन 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में तीस–तीस वर्ष के अंत पर किराये की दर में 100 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी।	**2. यह कि** दुकान 90 वर्ष हेतु पट्टे पर दी जायेगी किन्तु पट्टा तीस वर्ष हेतु अविलिखित किया जायेगा प्रत्येक इकत्तीसवें वर्ष के प्रथम दिन से ही किराये की धनराशि में 100% की वृद्वि स्वतः हो जायेगी। परन्तु प्रत्येक तीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पट्टा धारक द्वारा आवेदन कर नवीनीकृत कराना अनिवार्य होगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को दुकान किरायेदारी की बची हुई शेष अवधि के लिए प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत हस्तांतरण पत्र द्वारा परिषद के पूर्व लिखित अनुमोदन से हस्तांतरण करने का अधिकार इस शर्त पर होगा कि वह उक्त प्रीमियम की धनराशि व हस्तांतरण मूल्य के अन्तर का 50 प्रतिशत लाभांश संबंधित मण्डी समिति को देगा व शेष	3. यह कि द्वितीय पक्ष को दुकान किरायेदारी की बची हुई शेष अवधि के लिए प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहता है, तो दुकान आवंटन नियमावली के किसान बाजार दुकानों से संबंधित नियम–24 व 24 (क) में विहित व्यवस्था के अनुसार दुकान का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर

50 प्रतिशत उस आवंटी किरायेदार का अपना होगा। हस्तांतरण मूल्य प्रीमियम से कम होने की स्थिति में हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।	सकेगा।
4. यह कि उक्त पद्धति से आवंटित दुकान को प्राप्त करने हेतु द्वितीय पक्ष को बोली स्वीकृति होने की तिथि से 30 दिन के भीतर बोली में घोषित प्रीमियम का 1/2 भाग जमा कराना होगा तथा शेष धनराशि 90 दिन में एकमुश्त जमा करनी होगी। विशेष अनुमति की दशा में 90 दिन से अधिक बिलम्ब से जमा करने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से कम्पाउण्ड ब्याज विलम्ब अवधि हेतु देय होगा।	4. यह कि उक्त पद्धति से आवंटित दुकान को प्राप्त करने हेतु द्वितीय पक्ष को बोली स्वीकृति की तिथि से 30 दिन के भीतर बोली में घोषित प्रीमियम की धनराशि का 1/2 भाग नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्य से अदा करना होगा तथा शेष धनराशि 90 दिन में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। नियम –21 के अनुरूप 90 दिन से अधिक बिलम्ब से जमा करने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से छमाही कम्पाउण्ड ब्याज विलम्ब अवधि हेतु देय होगा।
15. औपचारिक आवंटन निर्गत होने के पश्चात् 90 दिन के अन्दर आवंटी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर यदि दुकान का कब्जा नही लेता है, तो अवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी प्रीमियम धनराशि का 15 प्रतिशत अंश तथा पंजीकरण शुल्क बतौर हर्जाना जब्त कर लिया जायेगा।	15. औपचारिक आवंटन के प्रस्ताव का पत्र प्राप्त होने पर **नियम–21** के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त धनराशि जमा कर दुकान का कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई पंजीकरण, प्रीमियम एवं अन्य प्रकार की जमा की गई समस्त धनराशि बतौर हर्जाना जब्त कर ली जायेगी।

उपरोक्त नियमावली एवं अनुबन्ध की शर्तो में किये गये संशोधन किसान बाजार हेतु बनायी गई दुकान आवंटन नियमावली,2009 की प्रभावी तिथि से प्रभावी होंगे। नियम–6 के बाद प्रस्तावित नियम–6 (क) दिनांक 25.09.2013 से प्रभावी होगा।

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर, (उधमसिंह नगर)

पत्रांकः उ0वि0बो0/विप0/ दुकान आवंटन नि0संशो0 /674 (ii)/2013-3525 दिनांकः 15-10-13

प्रतिलिपिः

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां उत्तराखण्ड।
2. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल/आदेश पत्रावली/बोर्ड बैठक पत्रावली हेतु।

प्रबन्ध निदेशक 25

आदेश

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक दिनांक 22.07.2014 में लिये गये निर्णय के क्रम में बोर्ड पत्रांकः उ0म0प0/विपणन/दु0आ0नि0सं0पत्रा0(674)–1732 दिनांक 11 जून, 2009 के माध्यम से निर्गत ''कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली, 2009'' में व्यावसायिक दुकानों से संबंधित नियम–7 के बाद नियम 7 (क) बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्–

''7 (क) 'अ' 'ब' एवं 'स' श्रेणी की दो या दो अधिक रिक्त दुकानों में से 50 प्रतिशत दुकानों का आवंटन गत तीन वर्षो के औसत मण्डी शुल्क की वरीयता के आधार पर किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत रिक्त दुकानें पुराने लाइसेंसी व्यापारियों को उनकी मण्डी में कार्य करने की वरिष्ठता अवधि के आधार पर आवंटित की जायेगीं। अवधि की गणना लाइसेंस निर्गत होने की तिथि से निरन्तरता के आधार पर वष्ठिता के क्रम में की जायेगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवंटित की जाने वाली दुकानों के लिए व्यापारी तभी पात्र समझा जायेगा जब कि वह नियम–6 के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में गल्ला मण्डी एवं फल सब्जी मण्डी हेतु निर्धारित मानकों को पूरा करते हों। यदि पुराने लाइसेंसी व्यापारी मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन स्थिति में आवंटन कमेटी को गत तीन वर्षो के औसत मण्डी शुल्क की वरीयता के आधार पर दुकान आवंटित करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु एक मात्र दुकान रिक्त रहने की दशा में दुकान का आवंटन गत तीन वर्ष के औसत मण्डी शुल्क की वरीयता के आधार पर किया जायेगा।

निरन्तरता का स्पष्टीकरण – निरन्तरता का अभिप्रायः लाईसेंस निर्गत होने की तिथि से लगातार कारोबार करने व मण्डी शुल्क जमा करने से है।''

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांकः–कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2014-2251 दिनांक 19.8.2014

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. बोर्ड निर्णय अनुपालन संबंधी पत्रावली में अनुरक्षित करने हेतु।
3. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांकः 06.06.2017 में मा० बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के कम में बोर्ड पत्रांकः उ0म0प0/विपणन/दु0 आ0नि0सं0पत्रा0 (674)– 1732 दिनांक 11 जून, 2009 के माध्यम से निर्गत "कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली, 2009" में व्यावसायिक दुकानों से संबंधित नियम–3 के बाद नियम 3. (क) निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्–

"3 (क) मण्डी स्थल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मंगलौर, रूड़की, हल्द्वानी, किच्छा, रामनगर एवं टनकपुर में आर्गेनिक उत्पादों के व्यापार हेतु 4–4 नग "स" श्रेणी की दुकानें आरिक्षत रहेगी। इन दुकानों को आर्गेनिक बोर्ड द्वारा अधिकृत सर्टिफाइड एजेंसी द्वारा संस्तुत विक्रेताओं/व्यापारियों को निर्धारित मासिक किराये पर आवंटित किया जायेगा। आवंटी विकताओं/व्यापारियों द्वारा इन दुकानों में आर्गेनिक सर्टिफाइड उत्पादों का ही व्यापार किया जायेगा, ऐसा न होने पर दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि आर्गेनिक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड द्वारा संस्तुत किये गये व्यापारियों का न्यूनतम 3 वर्ष का पंजीकरण हो"

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांकः–कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2017-1777 दिनांक 04.7.17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. बोर्ड निर्णय अनुपालन संबंधी पत्रावली में अनुरक्षित करने हेतु।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, किसान भवन, देहरादून।
3. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

आदेश

[illegible] वी बैठक दिनांक 02.04.2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 03, 03 [illegible] गये निर्णय के क्रम में "कृषि उत्पादन मण्डी समिति [illegible] आवंटन नियमावली–2009" के निम्नवत् नियमों को अन्तःस्थापित एवं [illegible] किया जाता है:–

प्रस्ताव [illegible] दुकानों [illegible] नियम (3) (क) [illegible]	"कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम–(3) के पश्चात् एक नया खण्ड (क) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा:– "इस नियम के अन्तःस्थापन की तिथि से मण्डी समितियों में निर्मित रिक्त दुकानों में भारतीय शहीद सैनिकों के आश्रितों को मण्डी समिति का लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के क्रय–विक्रय हेतु सी–श्रेणी की एक दुकान आवंटित की जायेगी। भारतीय शहीद सैनिकों के आश्रितों को दुकान आवंटन हेतु मण्डी शुल्क की बाध्यता नहीं होगी। इसमें पहले–आओ, पहले–पाओं की नीति अपनायी जायेगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भारतीय शहीद सैनिकों के आश्रित लाइसेंस प्राप्त करने के एक वर्ष तक अपना कारोबार प्रारम्भ नहीं कर पाते हैं अथवा दो वर्ष तक दुकान किराये की धनराशि के बराबर का मण्डी शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं, तो दुकान आवंटन निरस्त कर किसी अन्य पात्र व्यापारी/शहीद सैनिक के आश्रित को आवंटित कर दी जायेगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भारतीय शहीद सैनिक के आश्रित जिसे दुकान आवंटित की जाय, के द्वारा कारोबार स्वयं किया जायेगा। किसी भी दशा में दुकान या कारोबार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। दुकान या करोबार या दोनों की किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किये जाने की दशा में दुकान एवं लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।"
किसान बाजार की दुकानों के नियम संख्या– (3) (क) अन्तःस्थापन	"कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम–(3) के पश्चात् एक नया खण्ड (क) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा:– "इस नियम के अन्तःस्थापन की तिथि से मण्डी समितियों में निर्मित किसान बाजार/सुपर मार्केट की रिक्त दुकानों में भारतीय शहीद सैनिकों के आश्रितों हेतु 2 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि भारतीय शहीद सैनिक के आश्रित जिसे दुकान आवंटित की जाय, के द्वारा कारोबार स्वयं किया जायेगा। किसी भी दशा में दुकान किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

दुकान किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किये जाने की दशा में दुकान निरस्त कर किसी अन्य शहीद सैनिक के आश्रित को आवंटित कर दी जायेगी।

यदि शहीद सैनिक के आश्रित आंवटित दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहता है, तो वह किसी अन्य शहीद सैनिक के आश्रित को नियम–24 एवं उसके खण्डों में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ही हस्तांतरित कर सकेगा। शहीद सैनिक के आश्रित के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नहीं की जायेगी।"

प्रस्ताव 03 (1) व्यवसायिक दुकानों आवंटन हेतु नियम (7) का प्रतिस्थापन

"कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम–(7) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:–

वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
(7) उपरोक्तानुसार मण्डी शुल्क का वर्षवार विवरण तथा सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा चाही गई दुकान की श्रेणी एवं नम्बर के आवंटन आदि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण करने के बाद पत्रावली पर आवंटन समिति के अध्यक्ष से आवंटन कमेटी की बैठक हेतु समय/स्थान निर्धारित कराया जायेगा तथा सम्पूर्ण विवरण एक सप्ताह पूर्व मण्डी सचिव द्वारा सदस्यों को एजेण्डा के रूप में भेजा जायेगा तथा निर्धारित तिथि/समय पर आवंटन समिति के सामने प्रस्तुत कर आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी। यदि कोई लाईसेन्स तीन वर्ष से कम अवधि का है तो उस लाईसेंस के निर्गत होने के वर्ष से ही आवंटन तक के वर्ष में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क की गणना तीन वर्ष की अवधि मानते हुए औसत मण्डी शुल्क की गणना की जायेगी।	(7) उपरोक्तानुसार मण्डी शुल्क का वर्षवार विवरण तथा सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा चाही गई दुकान की श्रेणी एवं नम्बर के आवंटन आदि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण करने के बाद पत्रावली पर आवंटन समिति के अध्यक्ष से आवंटन कमेटी की बैठक हेतु समय/स्थान निर्धारित कराया जायेगा तथा सम्पूर्ण विवरण एक सप्ताह पूर्व मण्डी सचिव द्वारा सदस्यों को एजेण्डा के रूप में भेजा जायेगा तथा निर्धारित तिथि/समय पर आवंटन समिति के सामने प्रस्तुत कर आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी। दुकान/ गोदाम आवंटन की पात्रता हेतु लाईसेंस तीन वर्ष से कम अवधि का मान्य नहीं होगा तथा नियम (6) के अनुसार प्रत्येक वर्ष में कम से कम निर्धारित न्यूनतम मण्डी शुल्क भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। तदानुसार तीनों वर्ष में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क का औसत निकालकर वरीयता कम में आवंटन की पात्रता में रखा जायेगा। किसी भी वर्ष में करोबार न किये जाने तथा मण्डी शुल्क का भुगतान न किये जाने की स्थिति में तीन वर्ष की अवधि की गणना हेतु दुकान की पात्रता में सम्मिलित नहीं किया जयेगा।

[illegible] दुकानों नियम (25) का प्रतिस्थापन

कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम– (25) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:–

वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
(25) मण्डी स्थलों के भीतर निर्मित गोदामों, आवासीय भवनों इत्यादि का आवंटन मण्डी परिषद मुख्यालय से निर्धारित किराये के अन्तर्गत मण्डी समिति के सचिव/सभापति के स्तर से किया जायेगा।	(25) मण्डी स्थलों के भीतर निर्मित गोदामों का आवंटन बोर्ड द्वारा गठित दुकान आवंटन कमेटी के द्वारा किया जायेगा। आवासीय भवनों इत्यादि का आवंटन मण्डी बोर्ड मुख्यालय से निर्धारित किराये के अन्तर्गत मण्डी समिति के सचिव/अध्यक्ष के स्तर से किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 03 (2) व्यवसायिक दुकानों हेतु नियम– (24) (ख) का अन्तःस्थापन

कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम– (24) (क) के उपरान्त खण्ड (ख) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा:–

"24 (ख) यदि दुकान आवंटन अथवा विगत विक्रय के समय, जो भी प्रयोजनीय हो, एवं हस्तांतरण /नामांतरण की तिथि को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में परिवर्तन न हो रहा हो, तो ऐसी दशा में दुकान अपने पक्ष में हस्तांतरण चाहने वाला व्यक्ति को रू0 25,000/– मण्डी समिति में हस्तांतरण लाभाशः के रूप में जमा करने होगें।"

उपरोक्त समस्त प्रतिस्थापन एवं अन्तःस्थापन तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांक–कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2018–1379 दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. बोर्ड निर्णय अनुपालन संबंधी पत्रावली में अनुरक्षित करने हेतु।
3. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

आदेश

"कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के किसान बाजार से सम्बन्धित नियम– 36 में प्रदत्त शक्ति एवं मा0 अध्यक्ष, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर के अनुमोदन के क्रम में "कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के किसान बाजार से सम्बन्धित नियमों मे निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाते हैं:–

1– "नियम– 24 के शब्द एवं अंक **"दुकान को अपने पक्ष में हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति द्वारा नियम–24 (क) के अन्तर्गत आगणित प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समिति में जमा करनी होगी। सम्पत्ति हस्तांतरण के विषय में शासकीय अपेक्षित दायित्व दोनों (आवंटी एवं हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति) पक्षों के अपने–अपने होगें।"** के स्थान पर निम्नवत् शब्द एवं अंक रख दिये जायेगें अर्थात्– **"दुकान को अपने पक्ष में हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति द्वारा नियम नियम –24 (क) के अन्तर्गत आगणित हस्तातंरण मूल्य की धनराशि अथवा नियम– 24 (ख) में निर्धारित हस्तांतरण मूल्य की धनराशि में से जो अधिक हो, समिति में जमा करनी होगी। सम्पत्ति हस्तांतरण के विषय में शासकीय अपेक्षित दायित्व दोनों (आवंटी एवं हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति) पक्षों के अपने–अपने होगें।"**

2– नियम– 24 (ख) के शब्द एवं अंक **"यदि दुकान आवंटन अथवा विगत विक्रय के समय, जो भी प्रयोजनीय हो, एवं हस्तांतरण /नामांतरण की तिथि को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में परिवर्तन न हो रहा हो, तो ऐसी दशा में दुकान अपने पक्ष में हस्तांतरण चाहने वाला व्यक्ति को रू0 25,000/– मण्डी समिति में हस्तांतरण लाभाशः के रूप में जमा करने होगें।"** को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

नियम– 24 (ख)–

"यदि दुकान आवंटन अथवा विगत विक्रय के समय, जो भी प्रयोजनीय हो एवं हस्तांतरण/नामांतरण की तिथि को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में परिवर्तन न हो रहा हो अथवा कम हो रहा हो, तो ऐसी दशा में दुकान अपने पक्ष में हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मण्डी समितियों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम धनराशि जमा करनी होगी:–

क0सं0	मण्डी समिति का नाम	निर्धारित जमा धनराशि
	अ–श्रेणी	
1	हल्द्वानी	2,00,000/–
2	देहरादून	2,00,000/–
3	रूद्रपुर	2,00,000/–
4.	काशीपुर	2,00,000/–
5.	हरिद्वार	2,00,000/–
6.	ऋषिकेश	2,00,000/–
7.	रूड़की	2,00,000/–
8.	सितारगंज	2,00,000/–
9.	गदरपुर	2,00,000/–
10.	भगवानपुर	2,00,000/–
11.	किच्छा	2,00,000/–
	ब– श्रेणी	
1	बाजपुर	1,00,000/–
2	नानकमत्ता	1,00,000/–
3	खटीमा	1,00,000/–
4.	रामनगर	1,00,000/–
5.	मगंलौर एवं उपमण्डी स्थल झबरेड़ा	1,00,000/–
6.	विकासनगर	1,00,000/–

Sentbymail

27

7.	जसपुर	1,00,000 / –
	स–श्रेणी	
1.	टनकपुर	50,000 / –
2.	चमोली	50,000 / –
3.	कोटद्वार	50,000 / –
	द –श्रेणी	
1.	लक्सर (उपमण्डी स्थल गोवर्धनपुर)	25,000 / –
2.	चकरता (उपमण्डी स्थल सहिया)	25,000 / –
3.	पिथौरागढ़ (उपमण्डी स्थल थल)	25,000 / –
4.	उममण्डी स्थल गुलरभोज (गदरपुर मण्डी)	25,000 / –

(1) उपरोक्त निर्धारित धनराशि में प्रतिवर्ष अर्थात् माह जनवरी, 21 से 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः हो जायेगी। परन्तु प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् दुकानों की हस्तांतरण धनराशि की पुनः समीक्षा कर निर्धारित कर ली जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त निर्धारित धनराशि अथवा वृद्धि उपरान्त निर्धारित धनराशि से कम न होगी।''

परन्तु पूर्व में आवंटित किसान बाजार की दुकानों का हस्तांतरण पूर्व नियम से ही किये जायेगें। इस प्रतिस्थापन के उपरान्त आवंटित एवं हस्तांतरण होने वाले दुकानों के अनुबन्ध इन्हीं नियमों के आधार पर निष्पादित किये जायेगें।

(निधि यादव)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांकः–कृ0उ0वि0बो0 / कि0बा0दु0आ0देहरादून / 2020–1513 **दिनांक 27/10/2020**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर के संज्ञानार्थ।
2– महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर।
3– समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
4– दुकान आवंटन नियमावली सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
5– सूचना प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल / आदेश पत्रावली हेतु।

26/10/2020
प्रबन्ध निदेशक

आदेश

''कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009'' के किसान बाजार से सम्बन्धित नियम–36 में प्रदत्त शक्ति एवं मा0 अध्यक्ष, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर के अनुमोदन के कम में बोर्ड पत्रांकः उ0म0प0/विप0/दु0आ0नि0 (674)/2010 दिनांकः 03.04.2010 द्वारा तीन से अधिक सभी प्रकार की दुकानों के आवंटन हेतु गठित सात सदस्यों की समिति में आंशिक संशोधन करते हुए किसान बाजार की दुकानों के आवंटन हेतु तीन से अधिक दुकानों के लिए निम्नवत् कमेटी होगीः–

(1)	सम्बन्धित मण्डी समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
(2)	विपणन अधिकारी, मण्डी बोर्ड	सदस्य
(3)	सम्बन्धिम मण्डी समिति के सहायक अभियन्ता (तकनीकी)	सदस्य
(4)	लेखाधिकारी, मण्डी बोर्ड	सदस्य
(5)	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी	सदस्य
(6)	सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव	सदस्य/सचिव

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(निधि यादव)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांकः–कृ0उ0वि0बो0/कि0बा0दु0आ0हल्द्वानी/2020–/719 दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर के संज्ञानार्थ।
2– महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
5– दुकान आवंटन नियमावली सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
6– सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

19/11/2020
प्रबन्ध निदेशक

आदेश

मण्डी समितियों के व्यवसायिक दुकानों के आवंटन प्रकिया में लाईसेंसी व्यापारियों की समुचित सहभागिता, अवसर की समानता एवं प्रकिया में पारदर्शिता के दृष्टिगत मा0 बोर्ड अध्यक्ष, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में "कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के निम्नवत् नियमों को अन्तःस्थापित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है:–

1– बोर्ड पत्रांकः उ0म0प0/विप0/दु0आ0नि0(674)/2010– 768 दिनांकः 3.04.2010 द्वारा गठित कमेटी का निम्नवत् संशोधन है:–

क0 सं0	वर्तमान दुकान आवंटन कमेटी	पद	संशोधित दुकान आवंटन कमेटी	पद
1.	सम्बन्धित मण्डी के सभापति	अध्यक्ष	सम्बन्धित मण्डी के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	विपणन अधिकारी, मण्डी परिषद	सदस्य	उप महाप्रबन्धक (विपणन), कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य
3.	सम्बन्धित मण्डी समिति के सहायक अभियन्ता	सदस्य	सम्बन्धित मण्डी समिति के सहायक अभियन्ता	सदस्य
4.	लेखाधिकारी, मण्डी परिषद	सदस्य	लेखाधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य
5.	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकरी	सदस्य	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी	सदस्य
6.	सम्बन्धित व्यापार संघ का अध्यक्ष	सदस्य	सम्बन्धित व्यापार संघ का अध्यक्ष	सदस्य
7.	सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव	सदस्य / सचिव	सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव	सदस्य/ सचिव

2– आवंटन की प्रकिया में समुचित पारदर्शिता के दृष्टिगत पर्यवेक्षण हेतु महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में विशेष पर्यवेक्षक नामित किया जाता है।

3– **संशोधन, प्रतिस्थापन एवं अन्तःस्थापन–**

व्यवसाायिक दुकानों कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन हेतु नियम– (8) का नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम– (8) के संशोधन एवं शब्द **"उसके"** के स्थान पर **"उनके"** तथा शब्द **"दुकानें**

स्पष्टीकरण का अतःस्थापन	**आवंटित की जायेगी"** के स्थान पर **"अवशेष दुकानों की संख्या के अनुसार लाटरी प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा"** रख दिये जायेगें तथा नियम (8) के उपरान्त स्पष्टीकरण का अतःथापित कर दिया जायेगा अर्थात :– "(8) यदि किसी प्रकरण में स्थिति यह हो कि उपरोक्त मानकों के अनुसार पर्याप्त लाईसेंसी न हों तथा दुकानों के अवशेष रह जाने की स्थिति हो तो जो भी लाईसेंसी उपलब्ध होगें, **उनके** तीन वर्षो के औसत मण्डी शुल्क के आधार पर घटते अवरोही कम में **अवशेष दुकानों की संख्या के अनुसार लाटरी प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा** और इस प्रकार परिस्थिति विशेष में मानकों को शिथिल करने का अधिकार आवंटन समिति को होगा जिसका स्पष्ट उल्लेख आवंटन कार्यवाही की कार्यवृत्ति में किया जायेगा। स्पष्टीकरण– "अ" श्रेणी की दुकानें रिक्त होने की दशा में "ब" श्रेणी की अर्हता रखने वाले लाइसेंसी, "ब" श्रेणी की दुकानें रिक्त होने की दशा में "स" श्रेणी की अर्हता रखने वाले लाइसेंसी "स" श्रेणी की दुकाने रिक्त होने की दशा में अन्य अवशेष व्यापारी को दुकान आवंटन में लाटरी की प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।
व्यवसाायिक दुकानों हेतु नियम– (9) का प्रतिस्थापन	"कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009" के व्यवसायिक दुकानों के नियम– (8) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगाः– "प्रधान मण्डी स्थल अथवा उपमण्डी स्थल में आवंटित किये जाने वाली दुकानों के आवंटन हेतु नियम– 6 में निर्धारित मानकों के अनुसार अर्हता रखने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों को दुकानों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी हेतु एक बाक्स में समस्त अर्ह लाइसेंसी व्यापारियों की पर्ची कमेटी एवं उपलब्ध व्यापारियों के समक्ष डाली जायेगी। एक–एक कर पर्ची को बाक्स से मण्डी सचिव द्वारा निकाला जायेगा। जिस

क्रम में पर्ची में व्यापारी का नाम उल्लिखित होगा उसी क्रम में क्रमांक एक से क्रमिक रूप में दुकानों का आवंटन कर दिया जायेगा। समस्त लाटरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी तथा उसे 05 वर्ष तक अनुरक्षित रखा जायेगा।

व्यावृत्तियाँ — ऐसे संशोधन प्रतिस्थापन एवं अन्तःस्थापन के उपरान्त भी, तत्समय की गयी कोई कार्यवाही ऐसे समझी जायेगी, मानो तत्समय सारवान थे।

उपरोक्त समस्त संशोधन, प्रतिस्थापन एवं अन्तःस्थापन तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(निधि यादव)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांकः–कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2022–1551 दिनांक 20/9/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

20/09/2022
प्रबन्ध निदेशक

आदेश

मण्डी समितियों के व्यवसायिक दुकानों के आवंटन प्रकिया में लाईसेंसी व्यापारियों की समुचित सहभागिता, अवसर की समानता एवं प्रकिया में पारदर्शिता के दृष्टिगत मा0 बोर्ड अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में ''कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आवंटन नियमावली–2009'' के नियमों को बोर्ड पत्रांकः कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2022– 441 दिनांकः 20.09.2022 द्वारा किये गये अन्तःस्थापन एवं प्रतिस्थापन को मा0 बोर्ड की 35वीं बैठक दिनांकः 16.12.2022 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। उक्त अन्तःस्थापन एवं प्रतिस्थापन को मा0 बोर्ड द्वारा पत्रांकः कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2022– 441 दिनांकः 20.09.2022 के बिन्दु संख्या–2 ''आवंटन की प्रकिया में समुचित पारदर्शिता के दृष्टिगत पर्यवेक्षण हेतु महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में विशेष पर्यवेक्षक नामित किया जाता है।'' के स्थान पर ''महाप्रबन्धक (प्रशासन) को उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में मात्र प्रथमवार नव–निर्मित व्यापार स्थल पर होने वाले दुकानों के आवंटन हेतु विशेष पर्यवेक्षक होगें।'' के साथ अनुमोदित कर दिया गया है।

(निधि यादव)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांकः–कृ0उ0वि0बो0/दु0आ0नि0/(674)/2022– 2137 **दिनांक** 02/01/2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. बोर्ड के अनुपालन संबंधित पत्रावली हेतु।
2. सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल/आदेश पत्रावली हेतु।

02/01/2023
प्रबन्ध निदेशक